



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227422
CG-DL-E-08062021-227422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943

No. 165]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून 2021

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर पर्ल औद्योगिक पिगमेंट आधारित प्राकृतिक माइका" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/8/2020-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण. तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर पर्ल औद्योगिक पिगमेंट आधारित

प्राकृतिक माइका” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अर्थात् मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन में विहित सूचना प्रदान की है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर दिनांक 9 मई, 2020 की अधिसूचना सं. 6/8/2020-डीजीटीआर के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत की गई ताकि चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। यूएसए से आयात गैर-क्षतिकारक पाया गया है।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित दिनांक 9 मई, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने दिनांक 9 मई, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयात/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और तरीके से संगत सूचना देने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई।
 - घ. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के जरिए संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति दूतावास को संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भी भेजी गई थी।
 - च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर दिनांक 9 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर तथा अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय-सीमा को 18 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया था।
 - छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं:
 - i. मै. फ्यूजान कुनकई टेक्नोलॉजी
 - ii. मै. चेसिर गुआंगसी
 - iii. मै. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - iv. मै. ऑक्सन स्पेशल कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - v. मै. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

- vi मै. प्रीटी पियरलेसेंट पिगमेंट्स
- ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर तथा/या विधिक अनुरोध प्रस्तुत किए।
- i. मै. नवयुग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड
- ii. मै. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- iii. मै. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
- iv. मै. झेजियांग रूइचेंग न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
- v. मै. जियांगशू प्रीटी न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
- vi. मै. फूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- vii. मै. हेवेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं।
- i. मै. एशियन पेट्स लिमिटेड
- ii. मै. एफएक्स पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. मै. काजल कैमिक्ल्स
- iv. मै. केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
- v. मै. जियोक्रोम इंटरनेशनल
- vi. मै. पॉलीचेम एक्सपोर्ट्स
- vii. मै. आर.सी. इंटरनेशनल
- ट. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर और/या विधिक अनुरोध और/या हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- i. मै. एफ एक्स पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. मै. आर.सी. इंटरनेशनल
- iii. मै. कुनकई इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर वैबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएं क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- ड. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) तक की है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017-मार्च, 2018, अप्रैल 2018-मार्च, 2019 और क्षति जांच अवधि पर विचार किया गया है।

- ड. प्राधिकारी ने पीओआई सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु हेतु वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) तथा प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएस) से सौदावार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
- ण. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ सहित बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम एडीडी घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने हेतु पर्याप्त होगा।
- त. आवेदक और प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना की आवश्यक समझी गई सीमा तक टेबल अध्ययन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी। आवश्यक सुधार जहां लागू हो, सहित केवल ऐसी सूचना पर भरोसा किया गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना देने से मना किया है या जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 26 फरवरी, 2021 को हुई सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को खंडन, यदि कोई हों, सहित लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- न. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को संगत पाए जाने पर प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में शामिल किया गया है।
- प. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचनाओं पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम में “****” चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डॉ. =71.65
- ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :
- “4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर पर्ल औद्योगिक पिगमेंट आधारित प्राकृतिक माइका” है।
5. पीयूसी रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाई आक्साइड माइकालेनियस और चमकीला पर्लेसेंट पिगमेंट है और इसे वाणिज्यिक रूप से बाजार की शब्दावली में टाइटेनियम डाई ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट या पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। इसे रंग और अन्य प्रभाव जैसाकि कतिपय अकार्बनिक पिगमेंट/रंजकों में वर्णित है, जो चमकीला/साइनिंग प्रोस्टेट प्रभाव देते हैं, जैसे पर्लेसेंट प्रभाव कोटिंग, इंक और प्लास्टिक अनुप्रयोगों हेतु मैटेलिक प्रभाव में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

6. यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 32 के उपशीर्ष 3206 11 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ग.3 घरेलू उद्योग के अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :
- कॉस्मेटिक ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
 - उपभोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा और चीन के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद को एक दूसरे के स्थान पर प्रयो करते हैं।
 - आटोमोटिव ग्रेड के संबंध में घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण और बिक्री कर रहा है और उसने ऐसी इनहाउस मशीन का प्रयोग किया है जो त्वरित समय सीमा में बदलती हुई मौसम की दशाओं की अनुकृति करती है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :
- आटोमोटिव ग्रेड को पूर्ववर्ती जांच की तरह दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने न तो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और न ही फ्लोरिडा परीक्षण किया है। इसके अलावा, आटोमोटिव ग्रेड के उपयोग अलग हैं।
 - पीसीएन में किसी विशिष्ट उत्पाद किस्म/ग्रेड को शामिल करने का यह अर्थ नहीं है कि उसे यदि प्राधिकारी यह पाते हैं तो बाहर रखा जा सकता है कि आवेदक ने जांच अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया है। हाई स्पीड स्टील, कोल्ड रोलड स्टेडर्ड स्टील शीट, स्टेनलैस स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों में प्राधिकारी के निष्कर्षों और इंडियन रीफैक्ट्री मेकर्स एसोसिएशन बनाम डी ए, मैग्नेट यूजर एसोसिएशन बनाम डी ए तथा ऑक्सो एल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम डी ए मामलों सेस्टेट के आदेशों का संदर्भ दिया गया है।
 - प्रतिवादियों ने लिखित अनुरोध में आवेदक द्वारा यथापरिभाषित उत्पाद के दायरे को नहीं माना है। हम उनके भ्रम को व्यक्त करते हैं और आटोमोटिव ग्रेड को बाहर रखने संबंधी स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर पर्ल औद्योगिक पिगमेंट आधारित प्राकृतिक माइका है
8. पीयूसी रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाई आक्साइड माइकालेनियस और चमकीला पर्लेसेंट पिगमेंट है और इसे वाणिज्यिक रूप से बाजार की शब्दावली में टाइटेनियम डाई आक्साइड या आयरन आक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट या पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। इसे रंग और अन्य प्रभाव जैसाकि कतिपय अकार्बनिक पिगमेंट/रंजकों में वर्णित है, जो चमकीला/साइनिंग प्रोस्टेट प्रभाव देते हैं, जैसे पर्लेसेंट प्रभाव कोटिंग, इंक और प्लास्टिक अनुप्रयोगों हेतु मैटेलिक प्रभाव में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
9. यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 32 के उपशीर्ष 3206 11 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

10. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और तर्कों के आधार पर दिनांक 17 जुलाई, 2020 को एक पत्र जारी किया जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा सुझाई गई पीसीएन संबंधी टिप्पणियां मंगाई गईं। तत्पश्चात विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच करने पर प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना आदेश के माध्यम से वर्तमान जांच के लिए पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया। तत्पश्चात सभी हितबद्ध पक्षकारों से दो सप्ताह के भीतर अंतिम पीसीएन पद्धति के आधार पर प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया। अंतिम पी सी एन पद्धति को पाटन तथा जांच अवधि के दौरान उत्पादित उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के आंकलन हेतु लागू किया जाएगा।
11. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पीसीएन पर विचार किया है:

क्र.सं.	गैर-आटोमोबाइल (एन)	पार्टिकल आकार*	कोड
1.	सिल्वर- 1	लघु (D50<17)- S	N1S
		सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	N1R
		बड़ा (D50>30)- एल	NIL
		स्पेशल- X	N1X
	गोल्ड- 2	लघु (D50<17)- S	N2S
		सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	N2R
		बड़ा (D50>30)- एल	N2L
		स्पेशल- X	N2X
	आईरीडिसेंट- 3	लघु (D50<17)- S	N3S
		सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	N3R
		बड़ा (D50>30)- एल	N3L
		स्पेशल- X	N3X
	अर्थ टोन (ब्रांज/ कॉपर/ मरून)- 4	लघु (D50<17)- S	N4S
		सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	N4R
		बड़ा (D50>30)- एल	N4L
		स्पेशल- X	N4X
	अन्य- 5	लघु (D50<17)- S	N5S
		सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	N5R
		बड़ा (D50>30)- एल	N5L
		स्पेशल- X	N5X
आटोमोबाइल अनुप्रयोग (ए)			

सिल्वर- 1	लघु (D50<17)- S	A1S
	सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	A1R
	बड़ा (D50>30)- एल	A1L
	स्पेशल- X	A1X
गोल्ड- 2	लघु (D50<17)- S	A2S
	सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	A2R
	बड़ा (D50>30)- एल	A2L
	स्पेशल- X	A2X
। आईरीडिसेंट - 3	लघु (D50<17)- S	A3S
	सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	A3R
	बड़ा (D50>30)- एल	A3L
	स्पेशल- X	A3X
अर्थ टोन (ब्रांज/ कॉपर/ मरून)- 4	लघु (D50<17)- S	A4S
	सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	A4R
	बड़ा (D50>30)- एल	A4L
	स्पेशल- X	A4X
अन्य - 5	लघु (D50<17)- S	A5S
	सामान्य (D50, 17-30 के बीच)- आर	A5R
	बड़ा (D50>30)- एल	A5L
	स्पेशल- X	A5X

* D50 पिगमेंट में औसत पार्टिकल आकार है जिसे आयात किया जा रहा है। उदाहरण के लिए D50<17 जो दर्शाता है कि पिगमेंट में 50% पार्टिकल 17 पार्टिकल आकार से कम के हैं।

12. आटोमोटिव ग्रेड को बाहर रखने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन को सभी हितबद्ध पक्षकारों जिनमें पीयूसी के आटोमोटिव ग्रेड भी शामिल हैं, की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। यह भी नोट किया गया है कि आवेदक आटोमोटिव ग्रेड का उत्पादन कर रहा है और इसलिए प्राधिकारी ने इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया है।
13. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं

और कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु ए डी नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

14. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. आवेदक मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
- ii. आवेदक सुदर्शन (शंघाई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन से संबंधित है। तथापि, इस कंपनी ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।
- iii. आवेदक ने चीन जन गण से संबद्ध वस्तु की मामूली मात्रा का आयात किया है। आयात की यह मात्रा इतनी नहीं है कि उसे घरेलू उद्योग नहीं माना जाए। विस्कोस स्टेपल फाइबर, कार्बन ब्लैक, एक्रेलिक फाइबर, 2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमीडाजोल, थैलिक एनहाइड्राइड और फ्लैक्स यार्न में निष्कर्षों का संदर्भ दिया गया है जिनमें प्राधिकारी ने यही नीति अपनाई थी।
- iv. आवेदक ने वर्तमान जांच में पात्र घरेलू उद्योग माने जाने का अनुरोध किया है।
- v. चीन की सहायक कंपनी द्वारा की गई विक्रियों और खरीदों के संबंध में ये खरीदें एनपीयूसी हेतु कच्ची सामग्री के रूप में थीं और विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं थीं। यूएसए के संबंध में भी वह घरेलू उद्योग का विक्री एजेंट है और इसलिए खरीद विक्री आय के अलावा, कुछ नहीं है।
- vi. किए गए आयातों के संबंध में 72 प्रतिशत एन 1 एस है और घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान इस पीसीएन में वित्तीय घाटा हुआ है। भारी पाटन और अन्य उत्पादों पर इसके प्रभाव के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता इस पीसीएन के आयात हेतु बाध्य हुआ है। याचिकाकर्ता को एन 1 आर में भी भारी घाटा हुआ है। इन पीसीएन को देश में भारी पाटन के कारण कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है।
- vii. घरेलू उद्योग ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। तथापि, आयातों की मात्रा मामूली है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में उल्लिखित है कि चीन और यू एस ए की सहायक कंपनी ने 2019-20 में 5328.9 लाख तथा 2018-19 में 4820.4 लाख मूल्य की वस्तुओं की विक्री की है और 2019-20 में 817.3 लाख तथा 2018-19 में 2376.8 लाख मूल्य की खरीद की है।
- ii. आवेदक द्वारा चीन से आयात काफ़ी अधिक हैं और इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। किए गए आयातों का ब्यौरा प्रकट नहीं किया गया है।
- iii. याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित कुल उत्पादों में से पीयूसी के विक्री आंकड़े निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि वह एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसलिए आयातों का प्रयोजन और नियमितता को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- iv. घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के समय दावा किया था कि उनकी 60 प्रतिशत मांग आयातों से पूरी होती है।

- v. केवल यह उल्लेख करना कि आयातों की मात्रा काफी कम है, पात्रता का वैध कारण नहीं है। याचिका में उल्लिखित मामले निराधार हैं क्योंकि उन मामलों में घरेलू उत्पादक नियमित आयातक नहीं थे या उन्होंने शुल्क मुक्त स्कीम अथवा अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात किया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. यह आवेदन मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी आवेदक द्वारा किए गए आयातों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार करते हैं और नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किया गया आयात कुल मांग का ***% और भारत में कुल आयातों का ***% बनता है जो कुछ खास नहीं है जिससे कि आयातक घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र हो जाए।
18. चीन और यूएसए ने अपनी सहायक कंपनी से आवेदन द्वारा की गई खरीद के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन की सहायक कंपनी से आयात एनपीयूसी के हैं और यूएसए की कंपनी से आयात बिक्री आय हैं।
19. रिकॉर्ड में सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं। आवेदन नियमावली के 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- हेबेई ऑसन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर उत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं किया है और सुनवाई के दौरान स्मरण कराए जाने के बावजूद उक्त निर्यातक ने लिखित अनुरोध सहित पहली बार प्रश्नावली का उत्तर परिचालित किया है। घरेलू उद्योग के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उत्तर संबंधी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। यू एस-हॉट रोलड स्टील तथा यूएस-क्रोजन-रेजिस्टेंट स्टील सनसैट रिव्यू मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णयों का संदर्भ दिया गया था, जिनमें पैनल ने हितबद्ध पक्षकारों के वैध अधिकारों के संरक्षण हेतु समय पर अवसर देने के महत्व पर बल दिया था।
- कंपनी द्वारा किया गया संपूर्ण अनुरोध इस आधार पर उपेक्षित किए जाने लायक है कि वर्तमान जांच की शुरुआत से 10 महीने से अधिक के बाद अगोपनीय अंश प्रस्तुत किया गया। सेरेमिक टाइल के मामले में प्राधिकारी के निर्णय का संदर्भ दिया गया जिसमें प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वह निर्धारित समय सीमा के काफी समय बाद प्राप्त हुआ था।
- निर्यातकों और आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया और गोपनीय रूप से दावा की गई सूचना का तर्कसंगत सारांश नहीं दिया है।
- गोपनीय रूप से दावा की गई सूचना का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।

- v. प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली ने अधिकांश प्रश्नों को कुंवाई इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्तर से हटा दिया गया है, इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और परिपाटी का घोर उल्लंघन हुआ है।
- vi. ऐसे उत्तर को स्वीकार करने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का पूर्व उदाहरण विनिर्मित होगा और वे नियमावली के अधीन निर्धारित दायित्वों से सरलता से बच जाएंगे।
- vii. अगोपनीय अंश के संबंध में दायर याचिका व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं के अनुसार है।
- viii. लागत सूचना के संबंध में यह व्यापार स्वामित्व की सूचना है जिसका सारांश संभव नहीं है। निर्यातकों ने स्वयं लागत निर्धारण सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। गोपनीयता के मानक किसी जांच में सभी पक्षों पर लागू होते हैं। अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और नाइट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश का उल्लेख किया गया है।
- ix. अगोपनीय अंश के परिचालन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की दूसरी सूची जिसमें निर्यातकों का नाम है, 29 जनवरी, 2021 को अपलोड की गई थी और अगोपनीय अंश को तदनुसार परिचालित किया गया। निर्यातक ने याचिकाकर्ता की जानकारी होने के बावजूद उत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं किया और यह जांच शुरूआत तथा 22 मई, 2020 को हितबद्ध पक्षकारों की पहली सूची के बाद से नहीं किया गया।
- x. पीओआई की संपूर्ण आयात सूचना पर विचार करते हुए अद्यतन क्षति सूचना 22 फरवरी, 2021 को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिका का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। पर्याप्त औचित्य के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ii. याचिकाकर्ताओं ने अगोपनीय अंश में लागत संबंधी कोई सूचना प्रदान नहीं की है
- iii. आवेदक ने 5 फरवरी, 2021 को ही क्षति संबंधी सूचना का अगोपनीय अंश प्रदान किया है जो जांच शुरूआत की तारीख से 273 दिन की देरी से दिया गया है।
- iv. आवेदक ने अप्रैल, 2019 से फरवरी, 2019 तक बढ़ाए गए आयात आंकड़ों पर आधारित क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है और पी ओ आई की पूरी आयात सूचना पर विचार करते हुए क्षति संबंधी सूचना का अगोपनीय अंश दिया गया है।
- v. प्रतिवादियों ने अपने उत्तर गोपनीयता संबंधी विवरण सहित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा विहित प्रश्नावली प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किए हैं और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 का भी पूरी तरह से पालन किया है। प्रतिवादियों के आंकड़े यथाविहित रूप में दायर हैं और वह प्राधिकारी द्वारा इस जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक और व्यवहार्य समझी गई सीमा तक सत्यापन के लिए मुक्त हैं।
- vi. आयातकों ने विधिवत और पूरी तरह से प्रश्नावली का अपेक्षित उत्तर दिया है। प्रतिवादियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता कानून के अनुसार और व्यापार संवेदी सूचना के कारण व्यापार सूचना 10/2018 द्वारा यथाअनुमत है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है (उदाहरणार्थ उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ हो जाएगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे सूचना प्राप्त की गई है) या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दिया गया है, को उपयुक्त कारण बताए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा। ऐसी सूचना का उसे देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

24. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध करने पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा है।

25. घरेलू उद्योग और मै. हेबेई ऑक्सन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड के अनुरोध के अगोपनीय अंश के परिचालन में कथित देरी संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चूंकि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सरल पहुंच के लिए सार्वजनिक फाइल रखना संभव नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने 22.05.2020 को हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची परिचालित की जिसे बाद में 29 जनवरी, 2021 को संशोधित किया गया और प्रतिवादी निर्यातकों और घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को तत्पश्चात परिचालित किया गया।

च. विविध**च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

26 विविध अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी ने केवल प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया है। इतनी देरी से किसी उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. निर्णायक समीक्षा के आवेदन को पूर्व में वापस लिया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग को यूरोपीय संघ और यू एस ए से आयातों से क्षति नहीं हो रही थी जिससे सिद्ध होता है कि व्यापार उपचारात्मक उपाय सभी स्रोतों के विरुद्ध अत्यधिक प्रयोग नहीं हुए थे।

- iii. व्यापार उपचारात्मक उपायों के बार-बार प्रयोग के संबंध में वर्तमान जांच से 10 वर्ष पहले 2010 में पूर्ववर्ती एसएसआर हुई थी और घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच से 2010 तक इसी व्यापार उपचारात्मक उपाय हेतु आवेदन नहीं किया है।
- iv. याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में नियम 5 के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है। याचिका का सीमित उद्देश्य जांच शुरूआत को उचित ठहराने के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रदान करना है। नियमों में प्राधिकारी के लिए जांच शुरूआत के समय ही पूरी सूचना मांगना अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादियों ने इस मुद्दे पर मैक्सिको-स्टील पाइप और ट्यूब में पैनेल के निष्कर्षों के उद्धरण को हटा दिया है।
- v. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे बल्कि केवल अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता में मदद मिलेगी। चीन जन.गण. से आयात अब भी अपाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, अन्य देशों से भी आयात उपलब्ध हैं।
- vi कोई कंपनी घाटा उठाना नहीं चाहती है और घरेलू उद्योग को घाटा नहीं हो रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के बावजूद कीमत घटाने को बाध्य हुआ है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. विविध अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. घरेलू उद्योग आयातों के लगभग सभी स्रोतों से 2003 से विचाराधीन उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग करता रहा है।
- ii. पहले लागू निर्णायक समीक्षा को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिया गया था क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीमतों पर आयात नहीं हो रहा था।
- iii. याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य अधिकांशतः अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं और पर्याप्त साक्ष्य के रूप में योग्य नहीं हैं। यू एस-साफ्टवुड लुबर, ग्वाटेमाला – सीमेंट-। और मैक्सिको – स्टील पाइप्स तथा ट्यूब्स मामलों में डब्ल्यू टी ओ पैनेलों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है।
- iv. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत में एकमात्र उत्पादक है और शुल्क लागू होने से उसे अनुचित लाभ मिलेगा तथा एकाधिकार स्थापित होगा। इस प्रकार, डाउन स्ट्रीम उद्योगों को नुकसान होगा। मांग-आपूर्ति में भारी अंतर मौजूद है।
- v. याचिकाकर्ता घाटा उठाने और अपने प्रतिस्पर्धियों को उसी तरह के आचरण हेतु बाध्य करना चाहते हैं ताकि उनके पास सबसे अच्छे ऑफर हों और दीर्घावधि में वे प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दें।
- vi भारत चीन को प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् प्राकृतिक माइका का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है अतः यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से चीन को प्राकृतिक माइका के भारतीय निर्यातों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. इस दलील के संबंध में कि आवेदक बाजार को एकाधिकार बनाने का प्रयास कर रहा है और यह कि पाटनरोधी शुल्क से डाउन स्ट्रीम उद्योग प्रभावित होंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं पाटनरोधी शुल्क सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें।
29. मांग-आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में संभावित अंतर होने से घरेलू उद्योग को क्षतिकारी पाटित आयातों के विरुद्ध उपचार की मांग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

यदि निर्यातक भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसा अपाटित कीमतों पर किया जा सकता है।

30. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिका में जांच शुरूआत को उचित ठहराने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ पर्याप्त प्रथमदृष्टया संगत सूचना थी। प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य वाले आवेदन से संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय दिया।
31. व्यापार उपचारात्मक उपायों के कथित दुरुपयोग के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित विधिक आवश्यकताएं पूरी की गई हों।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. चीन जन. गण. से निर्यातकों के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं। ऐसा न करने पर उनकी लागत और कीमतों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. निर्यातकों के लिए यह दर्शाना भी अपेक्षित है कि उनकी घरेलू कीमतें और लागतें उचित हैं और संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमत दर्शाती हैं।
- iii. सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।
- iv. चीन जन.गण. के लिए यूरोप एक उचित प्रतिनिधि देश है क्योंकि जीडीपी तुलनीय है, यूरोप विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है और उसके पास चीन से तुलनीय क्षमताएं हैं। याचिकाकर्ता कंपनी का यूरोप में एक संबंधित व्यापारी है इसलिए यूरोप में प्रचलित कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध है।
- v. उन निर्यातकों पर सर्वाधिक शुल्क लगाया जाना चाहिए जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।
- vi. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- vii. चीन जन.गण. को हाल की सभी जांचों में प्राधिकारी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है।
- viii. भारत ने निर्धारित समझौते के उपबंधों से असंगत कार्य नहीं किया है। चीन को केवल घरेलू नियमों के आधार पर गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा रहा है बल्कि चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क)(1) के आधार पर माना गया है जो 11 दिसंबर, 2016 के बाद भी लागू है। चीन एक्सेशन प्रोटोकॉल के के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने और विकृतियों को हटाने में विफल रहा है ताकि कीमतों बाजार द्वारा चालित हों। इसके परिणामस्वरूप यू एस ए और यूरोपीय संघ सहित अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्य भी चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना जारी रखे हैं।
- ix. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्पों का क्रम दिया गया है।
- x. कच्ची सामग्री लागत और कच्ची सामग्री तथा सुविधाओं की खपत के अनुपात के संबंध में सामान्य मूल्य किसी धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए- चाहे कच्ची सामग्री या परिवर्तन लागत पर हो। निविष्टियों या सुविधाओं का उपयोग करने में घरेलू उद्योग के भीतर कोई अकुशलताएं नहीं हैं। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए कि घरेलू उद्योग अकार्यक्षम हैं या विदेशी उत्पादक दक्ष हैं। ऐसी कोई धारणा घरेलू उद्योग के हितों के विरुद्ध है और किसी तथ्यपूर्ण आधार से रहित है।

- xi. निर्यात कीमत के संबंध में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर बिल्कुल अपर्याप्त है और इसलिए इसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. इस बात पर ध्यान न देते हुए कि चीन को बाजार अर्थव्यवस्था देश का व्यवहार मिले या न मिले, इस मामले ने सामान्य मूल्य के परिकलन में प्रतिनिधि देश पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत के पास गैर बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का प्रयोग करके सामान्य मूल्य परिकलित करने का कोई आधार नहीं है।
- ii. भारत समझौते का पालन करने को बाध्य है और उसे संगत करारों के अंतर्गत दायित्व पूरे करने होंगे तथा संगत घरेलू विनियमों को संशोधित करके चीन को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देना होगा।
- iii. जांच शुरूआत अधिसूचना में ई यू को चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु माना गया है परंतु संशोधित याचिका में यूएसए पर विचार किया गया है।
- iv. यूरोपीय संघ एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश नहीं है क्योंकि वह विकसित देश है जबकि चीन विकासशील देश है। ई यू की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन से 13 गुना अधिक है और ई यू में रहन-सहन की लागत चीन से 9 गुना अधिक है।
- v. कच्ची सामग्री की लागत पर वर्ल्ड ट्रेड एटलस से ली गई चीन में कच्ची सामग्री की आयात कीमत, कच्ची सामग्री खपत अनुपात और क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित सुविधा खपत अनुपात तथा एन आई पी के लिए मानी गई ईष्टतम लागत के अनुसार विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक एक नया प्रवेशकर्ता है और निर्यातक को उसकी अकुशलता के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
- vi. निर्यातक की वास्तविक सूचना पर निर्यात कीमत हेतु विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय भाड़े के लिए निराधार समायोजनों का दावा किया।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

35. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना प्रस्तुत करने की सलाह सहित प्रश्नावली भेजी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में सहयोग किया है।
- मै. नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड
 - मै. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - मै. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
 - झेजियांग रूइचेंग, न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
 - जियांगशू प्रीटी न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड
 - फूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
36. तथापि, जियांगशू प्रीटी न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा यथाविहित सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अतः प्राधिकारी जियांगशू प्रीटी न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकृत करते हैं।

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

37. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिया गया प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। तथापि, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क) (i) दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ का अनुच्छेद 2.2.1.1 प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करते समय पूरक प्रश्नावली में दी जानी वाली सूचना/आंकड़ों के जरिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार करना अपेक्षित है।
39. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।
- गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी देश के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के अनुसार परिकलित करना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी निर्यातकों ने एम ई टी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत विकल्पों को तलाशा जाना चाहिए।
41. पैरा-7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु क्रम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या जहां संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त या देय कीमत जिसे यथा आवश्यक तर्कसंगत लाभ मार्जिन हेतु विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-7 के अधीन प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों पर ध्यान रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।
42. घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ का प्रस्ताव किया है और उनके द्वारा ई यू में उनके संबंधित व्यापारी को निर्यातित वस्तु की पुनर्बिक्री कीमत पर चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य के

लिए विचार करने का प्रस्ताव किया है। विरोधी हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ एक उचित प्रतिनिधि देश नहीं है क्योंकि वह विकसित देश है जबकि चीन विकासशील देश है। ईयू में प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन से 13 गुना अधिक है और रहन-सहन की लागत ई-यू में चीन से 9 गुना अधिक है।

43. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है और यह नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा पैरा-7 के पहले परंतुक को लागू करने या प्राधिकारी को तत्संबंधी कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है।
44. पैरा 7 के अगले परंतुक के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई के दौरान चीन से इतर देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और कीमतों संबंधी सूचना डी जी सी आई एस आंकड़ों में उपलब्ध है। यह नोट किया गया है कि यद्यपि, पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में चीन का हिस्सा 92 प्रतिशत है। तथापि, आयातों की अगली सर्वाधिक मात्रा यू एस ए से है जिसका हिस्सा 408 रूपए/एम.टी. की औसत सीआईएफ पर 6 प्रतिशत है। अन्य देशों से आयात 1 प्रतिशत से कम है।
45. चूंकि यू एस ए किसी पाटनरोधी जांच या उपाय के जारी रहने के बिना एक असंबद्ध देश है, और यू एस ए से आयात मात्रा काफी अधिक है, इसलिए सी आई एफ कीमत भारत में देय कीमत की प्रतिनिधि है। तथापि, यू एस ए से आयातों के पीसीएन वार विश्लेषण से यह देखा गया है कि यू एस ए से पीसीएन वार आयात केवल 2 पीसीएन-एन1एस (118.53 एमटी) और एन1आर (5 एमटी) रहा है। पीओआई के दौरान यूएसए से आयातित शेष 11 पीसीएन में सभी के लिए मात्रा समुचित तुलना हेतु काफी कम है।
46. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों को पीयूसी निर्यातों के ट्रेड मैप आंकड़ों में प्राधिकारी द्वारा विहित पीसीएन के ब्यौरे नहीं हैं। इसके अलावा, पीयूसी का समर्पित एचएसएन कोड नहीं है। अतः अन्य देशों को पीयूसी की निर्यात संबंधी पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी पैरा-7 के क्रम-2 के विकल्प को तब भी नहीं अपना सकते हैं यदि रिकॉर्ड के स्तर पर आधारित किसी प्रतिनिधि देश पर विचार करना हो।
47. अतः प्राधिकारी ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु विधिवत रूप से समायोजित करके समुचित संशोधनों सहित भारतीय सीओपी के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने पर विचार किया है।

छ.5.1 निर्यात कीमत का निर्धारण

छ 5.1 चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

48. प्राधिकारी ने पीसीएन वार पाटन मार्जिन की गणना हेतु सीएनवी के साथ समतुल्य तुलना के लिए पीसीएन स्तर पर निर्यात कीमत परिकलित की है जिसे बाद में भारित औसत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार पहुंच मूल्य परिकलित किया गया है और पीसीएन स्तर पर एनआईपी से उसकी तुलना की गई ताकि पीसीएन स्तर पर क्षति मार्जिन ज्ञात किया जा सके और बाद में भारित औसत स्तर पर परिवर्तित किया जा सके। जहां कहीं डीआई द्वारा उत्पादित पीसीएन का आयातित पीसीएन में समतुल्य नहीं मिला है वहां संगत समायोजनों सहित निकटतम उचित पीसीएन पर समान तुलना हेतु विचार किया गया है।

मै. नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड

49. नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारित औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

मै. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

50. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित

व्यय, बैंक प्रभार आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

मै. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड

51. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

मै. झेजियांग रूचेंग न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड

52. झेजियांग रूचेंग न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

मै. फूजियान कुनसाई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

53. फूजियान कुनसाई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित और संबंधित दोनों उपभोक्ताओं को सीधे निर्यात किया है। संबंधित आयातक ने जांच में सहयोग किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित सौदे निकटस्थों संबंधित आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह देखा गया है कि आयातक द्वारा की गई बिक्रियां लाभ दर्शाती हैं। तदनुसार, समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

मै. हेबेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल कं. लि.

54. हेबेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल कं. लि. ने *** एमटी. संबद्ध वस्तु का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य पर भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** अम.डॉ./एमटी. और *** अम.डॉ./एमटी. बनता है।

छ.5.2 चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

55. चीन जन.गण. से किसी अन्य निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत आवश्यक समायोजनों के पश्चात डीजीसीआईएंडएस में सूचित आयातों के आधार पर निर्धारित की गई है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

56. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और काफी अधिक है।

उत्पादक	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन रेंज
	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(%)	(रेंज)
नानयांग लिंगबो पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
मै. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
मै. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
झेजियांग रूइचेंग, न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	80-90
फूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
हेबेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	200-300

ज. क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

57. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है।
- ii. आयातों में क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।
- iii. संबद्ध देश की मांग में बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। पाटित आयातों में मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से को छीन लिया है। आयात देश में कुल आयातों का 59 प्रतिशत है।
- iv. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती, ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है। जांच अवधि के बाद की अवधि में पाटित आयातों का पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी है।
- v. क्षमता में 2017-18 में वृद्धि हुई और उसके बाद वह स्थिर रही। उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में 2017-18 में सुधार हुआ परंतु 2018-19 और जांच अवधि में गिरावट आई।
- vi. 2017-18 में मालसूची में गिरावट आई परंतु तत्पश्चात पाटित आयातों के कारण निरंतर वृद्धि हुई। जांच अवधि में अंतिम स्टॉक सर्वोच्च स्तर पर था।
- vii. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीवीआईटी और आरओआई में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जांच अवधि में भारी गिरावट आई। लगभग सभी मात्रा और कीमत मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि रही। यह गिरावट पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

- viii. पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने पर आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि, संबद्ध देशों में उत्पादकों के साथ अतिरिक्त क्षमताओं, भारी कीमत कटौती, कीमत हास और न्यूनीकरण के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति होने का खतरा है।
- ix. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा दर्शाते हैं।
- x. कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है जबकि कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण के परिणामस्वरूप लाभप्रदता में भारी कमी हुई है।
- xi. कोविड-19 के कारण प्रचालन केवल 5 दिन के लिए रोका गया था। घरेलू उद्योग को यथा स्थिति में देखा जाना चाहिए और न कि निष्क्रिय स्थिति में।
- xii. भारत में उच्च खपत से परस्पर आयात न्यायसंगत हो सकते हैं परंतु पाटन उचित नहीं है। घरेलू उद्योग को चीन की आयात कीमत पेशकश पर विचार करते हुए अपनी कीमतें तय करने पर बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग को मांग व आपूर्ति में अंतर की स्थिति में प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव और भारी कीमत क्षति का सामना करना पड़ा है। डीएसएम आईडीमिस्तु लिमिटेड बनाम डी ए का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह माना गया था कि निर्यातक सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर अपेक्षित वस्तु की आपूर्ति कर सकते हैं परंतु बाजार कब्जाने के लिए पाटित मूल्य पर ऐसा नहीं कर सकते।
- xiii. घरेलू उद्योग के निर्यात कुल बिक्रियों का केवल 13 प्रतिशत हैं।
- xiv. प्रतिवादी ने भारित औसत आयात कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत के साथ की है। घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती निर्धारित करने हेतु जांच अवधि के लिए पीसीएन वार लागत, कीमत और आयात आंकड़े प्रदान किए हैं। आयात कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की लागत/कीमत से करना अपेक्षित नहीं है।
- xv. वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के पिगमेंट का उल्लेख है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई संगतता बताए बिना इसका उल्लेख किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलता है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और इस बारे में मार्गदर्शन नहीं करता है कि पाटनरोधी मामले की जांच अवधि के दौरान कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।
- xvi. क्षति रहित कीमत को अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- i. वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि कंपनी ने प्रचालन रोक दिए हैं जिसे याचिका में नहीं बताया गया था। क्षति उत्पादन रोकने के कारण हुई है और न कि संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप।
- ii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक रूझान दर्शाते हैं परंतु जांच अवधि में उनमें गिरावट आई है। इस प्रकार, उनकी सत्यता पर संदेह होता है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट और प्रदत्त आंकड़े विरोधाभासी हैं।
- iii. चीन से आयात कीमत में मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए पीओआई के दौरान 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसे याचिकाकर्ता 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर भी पूरा नहीं कर पा रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है और क्षति पहुंचाने वाले अन्य सभी ज्ञात कारकों की जांच की जानी चाहिए।

- v. आवेदक काफी निर्यातोंन्मुखी है जिसके परिणामस्वरूप वे भारी मांग के बावजूद घरेलू बाजार में आपूर्ति करने में असमर्थ हैं।
- vi. आवेदक ने गैर-मौजूद क्षति को सिद्ध करने के लिए गलत और गुमराह करने वाली सूचना दी है। आयात कीमत और आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- vii. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग का दावा भारित औसत आधार पर किया गया है और इसलिए प्रतिवादी की पद्धति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यदि ऐसी पद्धति प्रश्न योग्य है तो घरेलू उद्योग को पीसीएन वार आधार पर सूचना प्रदान करनी चाहिए थी।
- viii. घरेलू उद्योग ने जनवरी और फरवरी 2020 में सर्वकालिक बिक्री का उच्चतर स्तर प्राप्त किया है और 19 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की है। कोई कारणात्मक संबंध और क्षति नहीं हुई है।
- ix. आपवादिक मदों, विज्ञापन, ऋण घाटे के लिए प्रावधान, बिक्री एजेंटों को कमीशन, यात्रा/आवागमन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व जैसे खर्चों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-111 के पैरा 4 (IV) और (vii) के अनुसार एनआईपी और एन वी के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- x. आवेदक को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और इसलिए दावे से इंकार किया जाए।
- xi. आकलन संबंधी मापदंड स्पष्टतः निर्धारित हैं और पाटनरोधी जांच में वास्तविक क्षति के खतरे के निर्धारण हेतु सुस्थापित हैं। इसके अलावा, आवेदक ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर हास्यास्पद दावे किए हैं जो पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैराग्राफ -VII के अनुसार नहीं हैं।
- xii. प्राधिकारी से प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने का अनुरोध है।
- xiii. आयात कीमत और आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। यह अनुरोध किया गया है कि प्रति इकाई आयात कीमत में वित्त वर्ष 2018-19 में 115 (सूचकांक) से पीओआई के दौरान 114 (सूचकांक) की गिरावट आई है। तथापि, आवेदक की प्रति इकाई घरेलू बिक्री कीमत में पीओआई के दौरान 108 (सूचकांक) से 99(सूचकांक) की गिरावट आई है। प्रतिवादी यह समझने में विफल हैं कि आयात कीमत में एक सूचकांक की गिरावट से घरेलू बिक्री कीमत में 9 सूचकांक की गिरावट कैसे आ सकती है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा वस्तुतः नीचे किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान किया गया है।
60. *अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।*

61. एनआईपी गणनाओं के तर्क के संबंध में उसे एडी नियमावली के अनुबंध-111 के आधार पर परिकल्पित किया गया है।
62. वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है जबकि वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन समस्त उत्पाद रेंज के लिए बताया गया है।
63. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग निर्यातानुमुखी है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के निर्यात संबंधित उत्पाद की कुल बिक्रियों का 13 प्रतिशत हैं जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग का फोकस भारतीय बाजार पर है।
64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की निम्नानुसार जांच की है:

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

65. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में विचार किया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	92	86
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	-	-	-	-
संबद्ध देश-चीन	मी.ट.	1154	1568	1841	2003
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	238	230	231	178
भारत में कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	121	122

66. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री और अन्य देशों के आयात में पीओआई के दौरान गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध देश से आयात पीओआई के दौरान काफी बढ़ गए हैं।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्राएं

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
संबद्ध देश-चीन जन.गण.	मी.ट.	1,154	1,568	1,841	2,003
अन्य देश	मी.ट.	238	230	231	178
कुल आयात मात्रा	मी.ट.	1,392	1,798	2,072	2,181
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					

उत्पादन-भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	163	191
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	132	142
कुल आयात	%	82.91	87.21	88.87	91.83

68. यह देखा गया है कि :

- क. संबद्ध देश से आयातों में क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 ख. कुल उत्पादन और खपत की दृष्टि से संबद्ध देश से आयात में संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है।
 ग. संबद्ध देश से आयात जांच अवधि के दौरान देश में कुल आयातों का 92 प्रतिशत है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात का विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों के द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

70. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में भारतीय उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं, आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा ज्ञात की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए पीओआई में अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और तत्पश्चात समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारण हुआ है। इसकी सारांश स्थिति नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	चीन ज.गण.			
		2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	330	326	380	380
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	40-50%	50-60%	30-40%	20-30%

71. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है जिससे सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख. कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में अंतर की जांच की गई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्री की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	104	103	104
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	105	108	100
आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	330	326	380	380
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	99	115	115

73. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना से पता चलता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत जांच अवधि सहित संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। इसके अलावा, यद्यपि, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है, तथापि, लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत को बढ़ाने के बजाए घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर देश में आयातों की भारी मात्रा के कारण बिक्री कीमत घटाने पर बाध्य होना पड़ा है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है।

ज.1 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

74. नियमावली के अनुबंध-11 में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल है। जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन भी शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-
75. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोध में दिए गए तथ्यों और विभिन्न तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्री

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	103	103	103
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	109	98	91
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	106	95	89
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	103	92	86

77. यह देखा गया है कि :

- घरेलू उद्योग की क्षमता में 2017-18 में वृद्धि हुई और तत्पश्चात यह स्थिर बनी रही।
- उत्पादन और घरेलू बिक्री में 2017-18 तक वृद्धि हुई परंतु 2018-19 और जांच अवधि में भी गिरावट आई।
- क्षमता उपयोग में 2017-18 में वृद्धि हुई परंतु 2018-19 और आगे जांच अवधि में गिरावट आई।

ख. बाजार हिस्सा

78. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	88	76	71
संबद्ध देश-चीन जन.गण.	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	117	132	142
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	83	80	61
मांग में कुल हिस्सा	%	100	100	100	100

79. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में कम हुआ है। संबद्ध देश से आयातों का भारतीय बाजार में 60 प्रतिशत हिस्सा है।

ग. मालसूची

80. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	82	112	159

81. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

घ. लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्री की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	104
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	100
लाभ/प्रति इकाई हानि	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	226	14
लाभ/हानि	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	208	12
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	138	66
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	136	19

83. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक वृद्धि हुई परंतु जांच अवधि के दौरान भारी गिरावट आई।

ख. निवेश पर आय में 2018-19 तक वृद्धि हुई परंतु उसके बाद भारी गिरावट आई।

ड. रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

84. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
मजदूरी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	144	181
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	122	111
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	81	81

प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	100	100

85. यह देखा गया है कि :

- 2016-17 से पीओआई तक प्रदत्त मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- प्रति दिवस उत्पादकता लगभग समान बनी रही है।

86. घरेलू उद्योग ने बताया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

च. वृद्धि

87. उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी, आरओआई और मालसूची की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	-	3	3	3
उत्पादन	मी.ट.	-	9	0	(3)
क्षमता उपयोग	मी.ट.	-	6	(3)	(6)
घरेलू बिक्री	मी.ट.	-	3	(6)	(9)
औसत स्टॉक	मी.ट.	-	(18)	18	68
लाभ/हानि-घरेलू	रू./लाख	-	40	97	(79)
नकद लाभ	लाख रू.	-	14	35	(30)
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	14	41	(75)

88. यह देखा गया है कि जांच अवधि में लगभग सभी मात्रात्मक और कीमत मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही है। उत्पादन, बिक्री, मालसूची, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई इन सभी में जांच अवधि में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

89. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन हो रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा काफी अधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

90. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पूंजी निवेश करके इस अवधि में संबद्ध वस्तु की क्षमता बढ़ाई है। तथापि, मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमताएं अप्रयुक्त रही हैं जो संबद्ध आयातों के प्रभाव के कारण है। इससे आवेदकों की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

i. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. यह देखा गया है कि आयात कीमतों से बाजार में घरेलू कीमतें सीधे प्रभावित हो रही हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। आयातों की कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी अधिक कम किया और घटा दिया है। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं।

ज.4 वास्तविक क्षति का खतरा

92. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित आधारों पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है।

क) भारत में पाटित आयातों में भारी वृद्धि जिससे आयातों में भारी वृद्धि की संभावना का पता चलता है।

क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बड़ी हुई क्षमताओं के बावजूद आयात काफी अधिक रहे हैं।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
संबद्ध देश-चीन जन.गण.	मी.ट.	1,154	1,568	1,841	2,003

प्रश्नावली के उत्तर में संबद्ध देश में निम्नलिखित उत्पादकों ने भारत को अपने निर्यात बढ़ा दिए हैं। सारांशीकृत तालिका निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उत्पादक	2017	2018	2019	पीओआई
1.	हेबेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल्स कं. लि.	100	103	166	148
2.	गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	2087	1469	2521
3.	झेजियांग रूइचेंग न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	40	571	1238
4.	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	100	115	129	134
5.	नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड	100	82	95	118
6.	फ्यूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	100	139	138	75

ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमताएं घरेलू मांग से अधिक हैं। वस्तुतः ये उत्पादक अतिरिक्त क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। इसके अलावा, प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निम्नलिखित उत्पादकों ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। सारांशीकृत तालिका निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उत्पादक	2017	2018	2019	पीओआई
1.	हेबेई ऑक्सेन न्यू मैटीरियल्स कं. लि.	100	75	106	98
2.	गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	120	130	130
3.	झेजियांग रूइचेंग न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	113	113	113
4.	फ्यूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	100	123	140	147

घरेलू उद्योग ने बताया है कि निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या सन्निकट भारी वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय बाजार में पाटित आयातों में भारी वृद्धि होने की संभावना है जिसमें किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार किया गया है।

ग. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं।

संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा रखी गई मालसूची

घ. संबद्ध देश में निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार अपनी मालसूची में वृद्धि की है। सारांशीकृत तालिका निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उत्पादक	2017	2018	2019	पीओआई
1.	गुआंगसी चेंसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	167	206	211
2.	झेजियांग रूइचेंग, न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	100	154	163	122
3.	नैनयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड	100	106	113	106
4.	फूजियान कुनकई मैटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	100	117	118	130

ज.5 क्षति का समग्र आकलन

93. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष दोनों तरह से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में हास और न्यूनीकरण कर रही हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में जांच अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है। जांच अवधि में लाभप्रदता, नकद लाभ, पीवीआईटी और आरओसीई में गिरावट आई है। जांच अवधि में लगभग सभी मात्रात्मक और कीमत मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही है। पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्रश्नावली के उत्तर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान निर्यातकों की क्षमताओं और मालसूची में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है।

ज.6 क्षति मार्जिन की मात्रा

94. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-111 के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की एन आई पी निर्धारित की है। पीयूसी की एनआईपी को पीओआई के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने हेतु क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के संबंध में भी समान व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभारित न किया जाए। पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-111 में यथाविहित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने हेतु कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।

95. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे तालिका में दिया गया है।

उत्पादक	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(%)	(रेंज)
नैनयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50

रिका टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
मै. गुआंगसी चेसिर पर्ल मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
झेजियांग रूइचेंग, न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
फूजियान कुनकई मैटीरियल टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
हेबेई आक्सेन न्यू मैटीरियल कं. लि.	***	***	***	***	60-70
चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	100-200

झ. कारणात्मक संबंध तथा गैर आरोपण विश्लेषण

96. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर ऐसे अन्य कारकों की जांच की है जिनसे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

97. अन्य देशों से आयात या तो उच्चतर कीमतों के हैं या नगण्य स्तर पर हैं।

ख. मांग में संकुचन तथा खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

98. यह नोट किया गया है कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

99. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच यह नहीं दर्शाती है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो सकती हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

101. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी परिवर्तन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च. उत्पादकता

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान लगभग समान स्तर पर बनी रही है।

छ. निर्यात कार्य निष्पादन

103. घरेलू और निर्यातों के लिए क्षति संबंधी सूचना पर उन्हें अलग किए जाने की सीमा तक अलग-अलग विचार किया गया है।

ज. अन्य उत्पादकों का कार्य निष्पादन

104. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है।

कारणात्मक संबंध

105. यद्यपि, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- भारत में संबद्ध वस्तु का भारी पाटन हुआ है।
 - सस्ते आयातों की उपलब्धता के कारण पाटित आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
 - जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों ने बाजार हिस्से पर कब्जा किया है।
 - परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आरंभ में वृद्धि हुई परंतु जांच अवधि में गिरावट आई है।
 - घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।
 - आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और ये घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर हुए हैं। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है।
 - परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है।
 - घरेलू उद्योग की मात्रा तथा लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ट. प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

106. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- किसी भी प्रयोक्ता अथवा प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उत्तर दायर नहीं किए हैं, जांच का विरोध नहीं किया है अथवा शुल्क लगाए जाने का विरोध नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि उन पर काफी अधिक अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
 - शुल्क लगाए जाने से उद्योग के निष्पादन में गिरावट आएगी, हुई क्षति का समाधान होगा और घरेलू उत्पादक को अर्थक्षम तथा प्रतिस्पर्धी रहने में सक्षम बनाएगा।
 - उचित कीमत वाले आयातों की तुलना में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं के हित में है।
 - यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो उद्योग को और अधिक क्षति होगी और अंततः समाप्त हो जाएगा, जिससे विदेशी उत्पादकों को बड़ी हुई गति मिलेगी और उपभोक्ता उनकी दया पर रह जाएंगे।
 - यदि उपभोक्ताओं को आयातित सामग्री पर निर्भर रहना होता है तो उपभोक्ताओं को मालसूची की अधिक मात्रा बनाए रखनी होगी, जबकि घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में मालसूची काफी कम स्तरों पर रखी जा सकती है।
 - एक सशक्त, उत्पाद का प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन कुल मिलाकर सार्वजनिक हित में है।
 - घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता भारत में विद्यमान पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परन्तु संबद्ध देश से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उनकी क्षमताओं की कटौती करता आ रहा है।
 - पाटनरोधी शुल्क एक स्तरीय व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन की गिरावट का समाधान करेगा, और साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- ix. पाटनरोधी शुल्क कीमत संशोधन का एक मात्र साधन है, न कि घरेलू उद्योग को संरक्षण।
- x. मात्रा पर शुल्क का प्रभाव यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं पर प्रभाव बहुत कम है। पेंट उद्योग पर शुल्क का प्रभाव मुश्किल से 1 प्रतिशत होगा। जनता पर प्रभाव पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण पेंट के 5 वर्षों के पूरे जीवनकाल में केवल 500 रुपये होगा। पिगमेंट्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव प्लास्टिक्स में नगण्य होगा।
- xi. घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री अर्थात् माइका की खरीद की अपनी आपूर्ति शृंखला की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करता है और खाने में बच्चों का रोजगार कम करने के प्रति सक्रिय रूप से कार्य करता है, यह ऐसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार घरेलू उद्योगों की वृद्धि प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जनहित में है।
- xii. घरेलू उद्योग निवेश बढ़ाने की योजना बनाता है, जिससे व्यापक रोजगार होगा। विनिर्माण संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल हैं तथा साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के तीन शीर्ष विनिर्माताओं में से एक है और उसका वैश्विक रूप से निर्यात करता है।
- xiv. बढ़ रहे व्यापार घाटे और गिरते हुए विदेशी रिजर्व के कारण घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर और अधिक विश्वास करना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

107. आवेदक ने उत्तरदाताओं अर्थात् गुआंक्सी चेसिर पर्ल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड, रीका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से काफी मात्राओं में संबद्ध सामानों का नियमित रूप से आयात किया है।
108. उपर्युक्त तालिका में दी गई सूचना से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:
 - क) आवेदक चीन से संबद्ध सामानों का आयात करने का आदी है क्योंकि उसने जांच की अवधि, जांच की अवधि से पूर्व तथा जांच की अवधि के बाद चीन से संबद्ध सामानों का आयात किया है।
 - ख) जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा चीन जन. गण. से कुल आयातों के *** प्रतिशत तक बहुत अधिक है। चीन जन. गण. से कुल आयातों के संदर्भ में जांच की अवधि से पूर्व तथा जांच की अवधि के बाद चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा क्रमशः *** प्रतिशत और *** प्रतिशत तक भी बहुत अधिक है।
 - ग) जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा आवेदक की घरेलू बिक्री के *** प्रतिशत तक बहुत अधिक है। आवेदक की घरेलू बिक्री के संदर्भ में जांच की अवधि के पूर्व तथा जांच की अवधि के बाद चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा भी क्रमशः *** प्रतिशत और *** प्रतिशत तक बहुत अधिक है।
109. इस संदर्भ में हमारे दावों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित अंतिम जांच परिणामों (विस्तृत) का उल्लेख किया गया था जिनमें घरेलू उत्पादकों को अपात्र माना गया था क्योंकि वे भी चीन से संबद्ध सामानों का आयात कर रहे थे।
 - क) चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फॉइल [फा. सं. 14/06/2015-डीजीएडी दिनांक 10 मार्च, 2017];
 - ख) चीन जन. गण. से फ्लैक्स यार्न [फा. सं. 6/3/2018/डीजीएडी दिनांक 18 सितंबर, 2018];
 - ग) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण वाले पॉलिशड अथवा अनपॉलिशड फिनिश में ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सलीन/विट्राफाइड टाइल्स" [फा. सं. 14/14/2014-डीजीएडी दिनांक 8 अप्रैल, 2017];

- घ) टर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका से सोडा [सं. 6/39/2019-डीजीटीआर 19 फरवरी, 2021].
110. उपर्युक्त विस्तृत जांच परिणामों से निम्नलिखित तथ्य उभरते हैं:
- क) घरेलू उत्पादक, यदि उत्पाद का आयात करने के लिए कोई स्वीकार्य कारण नहीं दिए गए हैं तो अपने आयातों की अपर्याप्त मात्रा के बावजूद अपात्र माना जाएगा।
- ख) 5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच आयात काफी माने गए हैं।
- ग) आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयातों के हिस्से की जांच भारत में कुल आयातों, संबद्ध देश (देशों) से आयातों, भारतीय उत्पादन, आवेदक घरेलू उत्पादक के उत्पादन, आवेदक घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री और भारतीय मांग के संदर्भ में की जानी चाहिए।
- घ) घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए छिट-पुट आयात अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए वैध कारण नहीं है।
- ङ) शुल्क मुक्त योजना अथवा अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए आयातों पर घरेलू उत्पादक की पात्रता का निर्णय लेने के लिए विचार नहीं किया जाता है क्योंकि ये आयात मुख्य धारा में नहीं आते हैं।
111. उत्तरदाताओं का विनम्र अनुरोध है कि आवेदक उपर्युक्त सभी सिद्धांतों को पूरा करने में विफल हैं, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध है।
112. प्रकटन विवरण के पैरा 17 में प्राधिकारी की जांच में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात आवेदक को घरेलू उद्योग मानने से अपात्र होने के लिए काफी नहीं हैं। इस संदर्भ में, यह अनुरोध है कि घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने के लिए "अपर्याप्त मात्रा" वैध कारण तब तक नहीं है, जब तक उत्पाद का आयात करने के लिए स्वीकार्य कारण न दिए गए हों। वर्तमान मामले में, आवेदक ने चीन जन. गण. से उत्पाद का आयात करने के लिए कोई स्वीकार्य कारण नहीं दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से अन्य आयातकों की तुलना में आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा की जांच नहीं की है। हमारे पास यह विश्वास करने के कारण है कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का काफी और/अथवा प्रमुख आयातक है। यह तथ्य ही सिद्ध करेगा कि चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा किए गए आयातों का देश में और बाजार प्रभाव में कीमतों पर काफी प्रभाव है। भारत में आयातों की कुल मात्रा अथवा कुल भारतीय मांग से मात्र तुलना का इस तथ्य के मद्देनजर विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे आवेदक द्वारा किए गए आयातों का आयात विश्लेषण करें।
112. कम आपूर्ति का मुद्दा भी होगा क्योंकि आवेदक सीमित क्षमता के साथ एक मात्र विनिर्माता है। आवेदक की बंदी होने की स्थिति में प्रयोक्ता उद्योग की स्थिति का प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्कों के कारण असामान्य रूप से संभावित उच्च आयात कीमतों के कारण और अधिक ह्रास होगा। ऐसी परिस्थितियों में प्रयोक्ता उद्योग शुल्क लगाए जाने की स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का आदतन दुरुपयोग करने वाला भी है। तदनुसार, हम प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश न करें।
113. हमें यह अनुरोध करते हुए आश्चर्य है कि माननीय जांचकर्ता प्राधिकारी चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान रहे हैं। एतद्वारा यह अनुरोध है कि डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम संबंधी नयाचार के संगत प्रावधानों के अनुसार, पाटनरोधी कार्यवाहियों में (प्रतिनिधि देश) परिपाटी का 11 दिसंबर, 2016 से बहुपक्षीय कानूनी आधार में अभाव होना चाहिए।
114. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रमुख आंकड़ों के संबंध में पर्याप्त प्रकटन के बिना हेबेई ऑक्सन प्रभावी टिप्पणियां करने की स्थिति में नहीं है और उसका रक्षा का अधिकार सीमित है।
115. एनआईपी के निर्धारण में प्राधिकारी नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय, जो 1987 में तैयार की गई थी, लागू कर घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं।
116. इसके अतिरिक्त, इस दावे के बावजूद कि चीन से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जबकि चीन से आयात 2016-17 से जांच की अवधि तक बढ़ते रहे हैं, घरेलू उद्योग ने 2016-17 से 2018-19 तक अपनी लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में काफी वृद्धि हासिल की है, परन्तु उसमें केवल जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई।

117. कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष 2016-17 के दौरान 100 (सूची) की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़कर 111 (सूची) हुई है। तथापि, मजदूरी में वृद्धि असामान्य प्रवृत्ति दर्शाती है जो आधार वर्ष 2016-17 के दौरान 100 (सूची) की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 181 (सूची) तक बढ़ी है, जो कि अपर्याप्त वृद्धि है। जब घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि उन्हें चीन से आयातों के कारण क्षति हो रही है तो उस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की मजदूरी काफी बढ़ाई है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इसकी बारीकी से जांच करें।
118. इसी बीच, यद्यपि प्राधिकारी ने यह देखने के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण किया है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आंतरिक कारकों, यथा – उनकी प्रचालन नीति में कमियों अथवा प्रौद्योगिकी की प्रतिकूलताओं अथवा उत्पादों की गुणवत्ता, जिनके परिणामस्वरूप कमजोर बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता हो सकती है, का विश्लेषण करने में विफल रहे।
119. अंततः प्राधिकारी भारतीय हितों अर्थात् आयातकों और निचले उद्योग के हित संबंधी पाटनरोधी उपायों के संभावित नकारात्मक प्रभावों का उचित विश्लेषण करने में विफल रहे, जो कि घरेलू उद्योग के हित की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है और उन्हें पर्याप्त रूप से हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।
- प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध को नोट करते हैं और दोहराते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों का जांच की अवधि के दौरान चीन से कुल आयातों का 5 प्रतिशत हिस्सा है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को अपात्र करने के लिए काफी नहीं है।
 - आवेदक की बंदी और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में विचाराधीन उत्पाद की कम आपूर्ति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है बल्कि सामान्य रूप में इसका प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
 - प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपेक्षित बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर कर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए आवेदन नहीं किया है।
 - भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों की जांच निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है।
 - प्राधिकारी को प्रकटन जारी करने के बाद विचाराधीन उत्पाद के कुछ आयातकों/प्रयोक्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिन्होंने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृत नहीं किया था (प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, राजीव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कंडुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया, कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डर्को पॉलिमर्स प्रा. लिमिटेड, बजाज पॉलीब्लेंड्स प्रा लिमिटेड, सुपरपैक)। यद्यपि उनमें से कोई भी वर्तमान जांच के लिए पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार नहीं है, तथापि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकारी द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई है।
 - ईमेल दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से, निर्यातक नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मैटेरियल्स ने प्रस्तुत किया कि इसका नाम 15 दिसंबर, 2020 से बदलकर हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड कर दिया गया। निर्यातक ने आगे प्राधिकरण से इसका उल्लेख करने

का अनुरोध किया। नया नाम अर्थात्, हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड को झूटी टेबल के साथ-साथ अंतिम निष्कर्षों के अन्य प्रासंगिक स्थानों में शामिल किया गया है क्योंकि निर्यातक ने प्राधिकरण के साथ पूरा सहयोग किया है। तथापि, जांच के इस विलम्बित चरण में प्राधिकारी द्वारा नाम में परिवर्तन के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, निर्यातक को व्यापार नोटिस संख्या के अनुसार नाम में परिवर्तन के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
12/2018 दिनांक 17.09.2018

ठ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

122. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, साथ ही घरेलू उद्योग की गिरावट भी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी उपाय लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
123. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाने का सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर विद्यमान शुल्क बढ़ाना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों, उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के आधार पर है।
124. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तन क्षमता, स्रोत बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से होने वाली नई स्थिति में समायोजन में विलंब अथवा वृद्धि लाने की संभावना वाले कारकों, वर्तमान शुल्क के निरसन अथवा बनाए रखने के प्रभाव के संबंध में सूचना मांगी।
125. दो आयातकों – एफसी पिगमेंट्स प्रा. लि. और आरसी इंटरनेशनल प्रा. लि. ने निर्धारित आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इन दोनों प्रयोक्ताओं ने उल्लेख किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं तो इससे एकाधिकार की स्थिति बनेगी क्योंकि आवेदक भारत में एक मात्र उत्पादक है। तदनुसार, आवेदक स्थिति का फायदा लेने के लिए अपनी कीमतें काफी बढ़ाएगा जिसका प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इससे भारी मांग-आपूर्ति अंतराल भी सृजित होगा क्योंकि आवेदक के पास घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
126. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और विस्तार से यह बताने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है

और अनुरोध किया कि उपभोक्ता के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव बहुत कम है। यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद का केवल एक ही भारतीय उत्पादक है और पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से संबंधित उत्पाद का स्वदेशी उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा तथा यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में होगा।

ड. निष्कर्ष

127. विचाराधीन उत्पाद, गोपनीयता, आवेदन पत्र की पर्याप्तता और परिशुद्धता, प्रश्नावली के उत्तरों, जांच की अवधि के चयन, पाटन मार्जिन निर्धारण, घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को तथाकथित रूप से क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में उठाए गए मुद्दों पर समुचित रूप से कार्रवाई की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (i) आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
- (ii) यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने ऑटोमोटिव ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद को अलग करने की मांग की, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ऑटोमोटिव ग्रेड का उत्पादन कर रहा है और इसीलिए प्राधिकारी ने इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया है।
- (iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
- (iv) प्राधिकारी ने पीसीएन-वार पाटन मार्जिन की तुलना के लिए सीएनवी के साथ एक-एक करके तुलना के लिए पीसीएन स्तर पर निर्यात कीमत का परिकलन किया है जिसे बाद में भारत औसत स्तर में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार, पहुँच मूल्य का परिकलन किया गया है और पीसीएन स्तर पर एनआईपी के साथ तुलना की गई है ताकि पीसीएन स्तर पर क्षति मार्जिन प्राप्त किया जा सके और बाद में भारत औसत स्तर पर समाप्त हो जाए। जहाँ कहीं आयातित पीसीएन का समतुल्य पीसीएन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, वहाँ संगत समायोजनों के साथ निकटतम उपयुक्त पीसीएन पर एक-एक करके तुलना सुनिश्चित करने के लिए विचार किया गया है।
- (v) आवेदकों तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच की गई है और उसके संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।
- (vi) आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए सभी संगत सूचनाएं निहित हैं और आवेदन पत्र में वर्तमान जांच शुरू करने के लिए निर्धारित जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित हैं।
- (vii) संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किये गए हैं और मार्जिन काफी हैं।
- (viii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण एवं सापेक्ष, दोनों संदर्भों में बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई हैं।

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू किए जाने और जांच

किए जाने पर प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

129. प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान के अनुसार, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखितानुसार संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।
130. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	320611	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर पर्ल औद्योगिक पिगमेंट आधारित प्राकृतिक माइका	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	ननयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट्स कंपनी लिमिटेड	2493	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	रीका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	2023	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	मैसर्स गुआंक्सी चेसिर पर्ल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड	2813	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	झेजियांद रूइचेंग न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड	2674	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	फुजियान कुनकेई मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	214	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
6.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	हेबेई ऑक्सन न्यू मैटेरियल्स कं. लि.	2406	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.

7.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	क्रम सं. 1 से 6 के उत्पादक के अलावा कोई अन्य उत्पादक	5529	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.
8.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	5529	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉ.

ण. आगे की प्रक्रिया

131. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2021

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade” originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/8/2020-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) requesting initiation of anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade”, (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR and United States of America The Applicant namely, M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited, has provided the prescribed information in the Application.
2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide notification No. 6/8/2020-DGTR dated 9th May, 2020, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the China PR (hereinafter referred to as “Subject Country”) and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry. The imports from USA were noted to be non-injurious.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

- b. The Authority issued a public notice dated 9th May 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 9th May 2020, to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user Associations, and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 9th July 2020, the time was extended up to 18th July 2020.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s. Fujian Kuncai Technology
 - ii. M/s. Chesir Guangxi
 - iii. M/s. Rika Technology Company Limited
 - iv. M/s. Oxen Special Chemicals Company Limited
 - v. M/s. Zhejiang Coloray Technology Development Company Limited
 - vi. M/s. Pritty Pearlescent Pigments
- h. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted exporter's questionnaire responses and/or legal submissions:
- i. M/s. Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials
 - ii. M/s. Rika Technology Company Limited
 - iii. M/s. Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited
 - iv. M/s. Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited
 - v. M/s. Jiangsu Pritty New Material Company Limited
 - vi. M/s. Fujian Kuncai Material Technology Company Limited
 - vii. M/s. Hebei Oxen New Material Company Limited
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s. Asian Paints Limited
 - ii. M/s. FX Pigments Private Limited
 - iii. M/s. Kajal Chemicals
 - iv. M/s. KPL International Limited
 - v. M/s. Geochrome International
 - vi. M/s. Polychem Exports
 - vii. M/s. R.C. International

- k. In response to the above notification, following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses and/or legal submissions and/or registered as interested parties:
- i. M/s. FX Pigments Private Limited
 - ii. M/s. R.C. International
 - iii. M/s. Kuncai International (India) Private Limited
- l. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- m. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from April 2016 - March 2017; April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the period of investigation.
- o. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (hereinafter referred to as "NIP") based on the cost of production and reasonable profit to sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the Domestic Industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q. The information provided by the Applicant and responding exporters was examined by the Authority by way of a table study, to the extent deemed necessary. Only such information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied.
- r. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- s. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this Final Finding on the basis of facts available.
- t. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 26th February 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- u. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Final Finding.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported by evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. "****" in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 71.65

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"4. The PUC in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade".

5. *The PUC is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/ shining frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating. inks and plastics application.*
6. *The product is classified under the Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under sub heading 3206 11. The Customs classification is, however. indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."*

C.3. Submissions of domestic industry

5. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
 - i. Cosmetic grade has been specifically excluded from the scope of product under consideration.
 - ii. The product manufactured by domestic industry is like article to the product imported from the subject country.
 - iii. Consumers use the product manufactured by the domestic industry and the Chinese producers interchangeably.
 - iv. As regards automotive grade, the domestic industry is manufacturing and selling the product under consideration and carried out tests in an in-house machine that mimics varying weather conditions in an accelerated time frame.

C.2. Submissions by other interested parties

6. The other interested parties have submitted as follows regard to product under consideration and like article:
 - i. Automotive grade should be excluded from scope as in previous investigations since the applicant has not started commercial production nor carried out the Florida test. Further, the usage for automotive grade is different.
 - ii. The inclusion of a particular product type/grade in PCN does not mean that it cannot be excluded if the Authority finds that the applicant has not commercially produced it in the period of investigation. Reference has been made to Findings of the Authority in High-Speed Steel, Cold Rolled Stainless Steel Sheets, Hot Rolled Flat products of Stainless Steel and CESTAT orders in Indian Refractory Makers Association v. DA, Magnet User Association v. DA and Oxo Alcohol Industries Association v. DA.
 - iii. The Respondents deny the product scope as defined by the Applicant in their written submissions. We have expressed their confusion and requested for clarification on the exclusion of automotive grade

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade".
8. The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/ shining frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating. inks and plastics application.
9. The product is classified under the Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under sub heading 3206 11. The Customs classification is, however. indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
10. The Authority, on the basis of submissions and arguments made by the domestic industry and various other interested parties, issued a letter dated 17th July, 2020 inviting comments on the PCN suggested by various interested parties. Subsequently, on examination of the comments received from various interested parties, the Authority finalized the PCN methodology for the present investigation through an order Notification dated 7th October, 2020. All interested parties were then requested to submit questionnaire responses on the basis of the finalized PCN methodology within 2 weeks. The finalized PCN methodology shall be applied to assess dumping and material injury being caused to the domestic industry for the products produced during the period of investigation.
11. The Authority has considered the following PCN for the purpose of the present investigation: -

S.No.	Non-Automobile (N)	Particle Size*	Code	
1.	Silver- 1	Small (D50<17)- S	N1S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	N1R	
		Large (D50>30)- L	N1L	
		Special - X	N1X	
	Gold- 2	Small (D50<17)- S	N2S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	N2R	
		Large (D50>30)- L	N2L	
		Special - X	N2X	
	Iridescent- 3	Small (D50<17)- S	N3S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	N3R	
		Large (D50>30)- L	N3L	
		Special - X	N3X	
	Earth tones (Bronze/ Maroon)- 4	Copper/	Small (D50<17)- S	N4S
			Regular (D50 between 17-30)- R	N4R
			Large (D50>30)- L	N4L
			Special - X	N4X
	Others- 5	Small (D50<17)- S	N5S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	N5R	
		Large (D50>30)- L	N5L	
		Special - X	N5X	
Automobile Application (A)				
	Silver- 1	Small (D50<17)- S	A1S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	A1R	
		Large (D50>30)- L	A1L	
		Special - X	A1X	
	Gold- 2	Small (D50<17)- S	A2S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	A2R	
		Large (D50>30)- L	A2L	
		Special - X	A2X	
	Iridescent- 3	Small (D50<17)- S	A3S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	A3R	
		Large (D50>30)- L	A3L	
		Special - X	A3X	
	Earth tones (Bronze/ Maroon)- 4	Copper/	Small (D50<17)- S	A4S
			Regular (D50 between 17-30)- R	A4R
			Large (D50>30)- L	A4L
			Special - X	A4X
	Others- 5	Small (D50<17)- S	A5S	
		Regular (D50 between 17-30)- R	A5R	
		Large (D50>30)- L	A5L	
		Special - X	A5X	

*D50 is the average particle size in the pigment which is being imported e.g. D50<17

denotes that 50% of the particles in the pigment are less than particle size 17

12. As regards argument of exclusion of Automotive grade, the Authority notes that PCN's were finalised after obtaining comments of all interested parties which included Automotive grade of PUC as well. It is further noted that the applicant is producing automotive grade and therefore Authority has not excluded these from the scope of the product under consideration.
13. It is noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to the product under consideration imported from subject country. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject country is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the product imported from subject country in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the domestic industry

14. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
 - i. The Applicant, M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited is the sole producer of the subject goods in India.
 - ii. The Applicant is related to Sudarshan (Shanghai) Trading Company Limited, China. However, the company has not exported the subject goods to India.
 - iii. The Applicant has imported an insignificant amount of subject goods from China PR. The volume of imports is not significant enough to disentitle it from being treated as domestic industry. Reference has been made to Findings in Viscose Staple Fibre, Carbon Black, Acrylic Fibre, 2 Methyl (5) Nitro Imidazole, Phthalic Anhydride and Flax Yarn, wherein the Authority followed the same approach.
 - iv. The Applicant has requested to be treated as eligible domestic industry in the present investigation.
 - v. As regards sales and purchases made by the Chinese subsidiary, the purchases were raw materials for NPUC and not for product under consideration. As regards USA, it is the sales agent of the domestic industry and therefore purchases are nothing but sales returns.
 - vi. With regard to the imports made, 72% comprises of NIS, and the domestic industry suffered financial loss in this PCN during the period of investigation. The petitioner is constrained to import this PCN as a result of significant dumping and its impact on other products. The petitioner has also suffered significant losses in N1R. These PCNs are produced in low volumes because of significant dumping in the country.
 - vii. The domestic industry does not deny that they have imported the product under consideration. However, the volume of imports is insignificant.

D.2. Submissions by other interested parties

15. Following submissions have been made by other interested parties with regard to the domestic industry and standing:
 - i. Annual Report 2019-20 of the petitioner states that the Chinese and USA subsidiary sold goods worth 5328.9 lakhs in 2019-20 and 4820.4 lakhs in 2018-19 respectively and made purchases worth 817.3 lakhs in 2019-20 and 2376.8 lakhs in 2018-19.
 - ii. Imports from China by the applicant is significant, and therefore cannot be treated as domestic industry. The details of imports made have not been disclosed.
 - iii. It is difficult to determine sales figures of PUC out of total products manufactured by them as petitioner is a multi-product company, and therefore, the purpose and regularity of imports made needs to be clarified.
 - iv. Domestic industry claimed at the time of oral hearing that 60% of their demand is met by imports.
 - v. Merely mentioning that volume of imports is not significant is not a valid reason for eligibility. Cases referred to in the petition are misplaced as domestic producers in those cases were not regular importers or had imported under duty-free scheme or advance license.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The application has been filed by M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The Authority considered the arguments of the interested parties regarding the imports made by the Applicant and notes that the imports made by the Applicant during the period of investigation, accounts for ***% of the total demand and ***% of the total imports into India which is not significant so as to dis entitle the Applicant from being treated as domestic industry.
18. With regard to the purchases made by the Applicant from its subsidiary companies in China and USA, the Authority notes that the imports from Chinese subsidiary is of NPUC and imports from USA subsidiary is sales returns.
19. Considering the information on record, the Authority holds that the production of the applicant account for a major proportion in the domestic production of the like article and the applicant is eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of domestic industry

20. Following submissions have been made by the domestic industry regarding confidentiality.
 - i. Hebei Oxen New Material Company Limited has not circulated the non-confidential version of the response within the time limits prescribed by the Authority and despite pointing out during the hearing the said exporter circulated the questionnaire response for the first time with its written submissions. The rights of the domestic industry have been seriously impeded as sufficient time has not been provided to offer comments on the response. Reference was made to the WTO Panel decisions in US – Hot Rolled Steel and US-Corrosion-Resistant Steel Sunset review, wherein the Panel stressed on the importance of providing timely opportunities to interested parties to protect their legitimate interests.
 - ii. The entire submission made by the company deserves to be ignored on the account that the non-confidential version was filed after more than ten months from initiation of present investigation. Reference has been made to the decision of the Authority in Ceramic Tiles wherein the Authority did not accept the response of the interested party as it was received after considerable lapse of permitted time.
 - iii. Exporters and importers have claimed excessive confidentiality and failed to provide a reasonable summary of the information claimed confidential.
 - iv. No adequate reasoning has been provided for the information claimed confidential, thereby violating principles of natural justice.
 - v. A majority of questions in the questionnaire issued by the Authority has been removed from the response filed by Kuncai International (India) Private limited, thereby resulting in a blatant violation of the procedure and practice followed by the Authority.
 - vi. Accepting such responses will set a precedence to other interested parties to not follow established procedure and easily get away with the obligations set out under the rules.
 - vii. As regards non-confidential version, the petition filed is as per requirements of Trade Notice 10/2018.
 - viii. As regards cost information, it is business proprietary information not amenable to summarization. The exporters themselves have claimed costing information confidential. Standards of confidentiality apply for all parties in an investigation. Reference has been made to Anwar Jute Spinning Mills Limited case and CESTAT order in Nitro Chemical Industry Limited v. Designated Authority.
 - ix. As regards circulation of non-confidential version, the second list of interested parties wherein the exporters names were provided was uploaded on 29th January 2021 and the non-confidential version was circulated accordingly. The exporters did not circulate the non-confidential version of the responses despite being aware of the petitioner since initiation or when the first list of interested parties was uploaded on 22nd May 2020.
 - x. The updated injury information considering complete import information of POI was provided by the domestic industry on 22nd February 2021.

E.2. Submissions by other interested parties

21. Following submissions have been made by other interested parties regarding confidentiality:

- i. The non-confidential version of the petition does not meet the requirements under Rule 7 of the Rules and Trade Notice 10/2018. Excessive confidentiality has been claimed without providing sufficient justification.
- ii. The petitioners have not provided any cost information in the non-confidential version.
- iii. The applicant provided non-confidential version of injury information only on 5th February 2021, post a delay of 273 days from date of initiation.
- iv. The applicant has provided injury information based on extrapolated import data of April 2019 to Feb 2019 and has not provided the non-confidential version of the injury information considering complete import information of POI.
- v. The respondents have submitted their responses as per the questionnaire format prescribed by the Authority for the producers / exporters, including the confidentiality statement, and also completely adhered to the Trade Notice No 10/2018 dated 7th September 2018. The data of the Respondents have been filed as prescribed, and the same is open for verification by the Authority, as considered necessary and feasible, for the purposes of this investigation.
- vi. The importers have filed the required questionnaire responses duly and completely. The confidentiality claimed by the Respondents is in accordance with the law and as permitted by the Trade Notice 10/2018 on account of business sensitive information.

E.3. Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule

(3) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
24. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
25. As regards the argument of alleged delay in circulation of non-confidential version submissions of the domestic industry and M/s Hebei Oxen New Material Company Limited, it is noted that in view of COVID-19 pandemic, since it is not possible to maintain a public file for easy access by all interested parties, the Authority circulated a list of interested parties on 22.05.2020 which was subsequently revised on 29th January 2021 and all the interested parties including responding exporters and domestic industry circulated the submissions thereafter.

F. MISCELLANEOUS**F.1. Submissions of domestic industry**

26. Following submissions have been made by the domestic industry regarding miscellaneous submissions.
- i. Zhejiang Coloray Technology Development Company has only filed authorization letter. Any response at a belated stage should not be accepted.
 - ii. The sunset review application was withdrawn earlier since the domestic industry was not suffering injury from imports from European Union and USA, thereby establishing that trade remedial measures are not being used excessively against all sources.
 - iii. As regards frequent usage of trade remedial measures, the previous SSR concluded in 2010, 10 years prior to present investigation, and the domestic industry has not applied for any trade remedial measures since 2010 until the present investigation.
 - iv. As regards evidence presented in the petition, all the requirements under Rule 5 have been adequately met. Petition has limited purpose of providing prima facie evidence to justify initiation of investigation. The rules do not require the Authority to have full information at the initiation stage itself. Further, the respondents have omitted to quote the finding of the Panel in Mexico-Steel Pipes and Tubes on the issue.
 - v. Imposition of anti-dumping duties will not restrict imports, but will only remove unfair advantages, prevent decline in performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of subject goods. Imports from China PR can still enter the Indian market at un-dumped prices. Further, there are imports from other countries as well.
 - vi. No company is willing to suffer losses, and the domestic industry is not suffering losses. The dumped imports are forcing the domestic industry to reduce its price despite increase in costs.

F.2. Submissions by other interested parties

27. Following submissions have been made by other interested parties regarding miscellaneous submissions.
- i. The domestic industry has been making use of anti-dumping duties imposed on the product under consideration since 2003 from almost all sources of imports.
 - ii. The sunset review previously applied was withdrawn by the petitioner, as product under consideration was not being exported at dumped prices.
 - iii. The evidence presented in the petition is largely based on estimates and assumptions and do not qualify as sufficient evidence. Reference has been made to WTO Panel decisions in US-Softwood Lumber, Guatemala – Cement I and Mexico-Steel Pipes and Tubes in this regard.
 - iv. The petitioner is the sole producer in India for the product under consideration and imposition of duty will result in undue advantage and create a monopoly, thereby affecting downstream industries. There exists a huge demand-supply gap.
 - v. The petitioners are willing to make a loss and force their competitors to comply with the same knowing that they have the largest offers and will outlast the competition in the long run.
 - vi. India is the major supplier of the key raw material i.e., Natural Mica to China. Therefore, it is submitted that the imposition of anti-dumping duties will adversely impact the Indian exports of Natural Mica to China.

F.3. Examination by the Authority

28. With regard to the contention that the applicant is trying to monopolize the market and that the anti-dumping duty will impact downstream industry, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
29. As regards the existence of demand-supply gap, the Authority notes that possible demand-supply gap cannot deprive a domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury. If the exporters wish to meet the requirement in Indian market that could be done by meeting the requirements at an undumped price.
30. As regards the submission that the petition does not have prima facie evidence to justify initiation, the Authority notes that the Application contained sufficient prima facie information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient prima facie evidence to justify initiation of investigation decided to initiate the present investigation.

31. As regards alleged misuse of trade remedial measures, the Authority notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of domestic industry

32. Following submissions have been made by the domestic industry regarding normal value, export price and dumping margin.
- i. The exporters from China PR are required to establish that they are operating under market economy conditions, in failure of which their costs and prices should not be considered.
 - ii. The exporters are also required to demonstrate that their costs and domestic prices are appropriate and reasonably reflect the cost and price of subject goods.
 - iii. Normal Value should be determined on the basis of Para (7) of Annexure – I of the Anti-Dumping Rules as none of the producers/exporters have claimed market economy treatment.
 - iv. Europe is an appropriate surrogate country for China PR as the GDP is comparable, Europe is a major producer of the product under consideration and has capacities comparable to China. The petitioner company has a related trader in Europe due to which the information on price prevailing in Europe is available.
 - v. Highest duty should be applied against those exporters who have not co-operated in the present investigation.
 - vi. The dumping margin is positive and substantial.
 - vii. China PR has been considered as non-market economy by the Authority in all recent investigations.
 - viii. India has not acted inconsistently with the provisions of “*pacta sunt servanda*”. China is not being treated as a non-market economy merely based on domestic regulations, but also on the basis of Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol which continues to operate even after 11th December 2016. China has failed to fulfill its obligations under the Accession Protocol and failed to remove distortions, to allow prices to be set by the market, as a result of which even other WTO members, including USA and European Union, have continued to treat China as a non-market economy.
 - ix. Para(7) of Annexure I of the Anti-Dumping rules provide for a hierarchy of options available for determination of normal value.
 - x. As regards raw material cost and raw material and utilities consumption ratio, normal value should not be based on any normation – whether for raw materials or for conversion costs. There are no inefficiencies within the domestic industry in utilising inputs or facilities. There should be no presumption that domestic industry is inefficient or the foreign producers are efficient. Any such presumption is against bonafide interests of the domestic industry and is without any factual basis.
 - xi. As regards export price, the responses filed by exporters are grossly insufficient and therefore it should be calculated on the basis of facts available.

G.2. Submissions by other interested parties

33. Following submissions have been made by other interested parties regarding normal value, export price and dumping margin.
- i. The surrogate country methodology should not be used in calculating the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy country. India has no basis for calculating normal value using the non-market economy methodology.
 - ii. India is bound by ‘*pacta sunt servanta*’ and must fulfill its obligations under relevant agreements and recognize China’s full market economy status, by amending relevant domestic regulations.
 - iii. In the initiation notification, EU has been considered for normal value determination for China but in the revised petition, USA has been considered.
 - iv. European Union is not an appropriate surrogate country as it is developed country while China is developing. GDP per capita of EU is 13 times more than China and cost of living is 9 times higher in EU than China.
 - v. Raw material cost should be considered as per import price of raw material in China, taken from World Trade Atlas, Raw Material consumption Ratio & Utilities consumption ratio based on best utilization ratio

during the period of injury and optimized cost as considered for NIP as applicant is a new entrant and exporters should suffer due to its inefficiency.

- vi. The actual information of the exporters should be considered for export price as the applicant has claimed baseless adjustments for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and inland freight.

G.3. Examination by the Authority

34. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

35. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. M/s. Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials
- ii. M/s. Rika Technology Company Limited
- iii. M/s. Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited
- iv. Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited
- v. Jiangsu Pritty New Material Company Limited
- vi. Fujian Kuncai Material Technology Company Limited

36. However, Jiangsu Pritty New Material Company Limited did not submit verification documents as prescribed by the Authority. Therefore, the Authority has rejected the questionnaire response filed by Jiangsu Pritty New Material Company Limited.

Market Economy Status for Chinese Producers

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

38. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
39. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under.
- In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*
40. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case, the responding exporters have not filed any MET questionnaire and therefore the Authority notes that options under para 7 of Annexure 1 to AD rules need to be explored.
41. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.
42. The domestic industry has proposed European Union as the "surrogate country" for China PR and proposed to consider resale price of goods exported by them to its related trader in EU as normal value for China PR. The opposing interested parties has argued that European Union is not an appropriate surrogate country as it is developed country while China is developing. GDP per capita of EU is 13 times more than China and cost of living is 9 times higher in EU than China.
43. The Authority has taken note of the arguments of various interested parties and notes that there is no sufficient information provided by any Interested Party to consider application of the first proviso of para 7 nor any information is available with the Authority for the same.

44. As regards the next proviso in para 7, the Authority notes that information on import volume and prices of subject goods from countries other than China during POI is available from the DGCIS data. It is noted that while China accounts for 92% of total imports of subject goods during POI, the next highest quantity of imports are from USA constituting a share of 6% at an average CIF of Rs 408/MT. The imports from other countries are less than 1%.
45. USA being a non-subject country with no investigation of AD underway or AD measure in force and with import volume from USA being quite significant, the CIF price is thus representative of price payable in India. However, on making a PCN wise analysis of imports from USA, it is seen that PCN wise imports from USA are significant for only 2 PCN's – N1S (118.53 MT) and N1R (5 MT). For all the remaining 11 PCN imported from USA during the POI, the volume is insignificant for appropriate comparison.
46. The Authority also notes that the TradeMap data of PUC exports to other countries does not has details about the PCNs prescribed by the Authority. Also, the PUC does not have a dedicated HSN Code. Therefore, in absence of sufficient information on export of PUC to other country, the Authority cannot adopt option 2 of para 7 heirarchy even if a surrogate country based on level of development is considered.
47. The Authority, therefore, has considered the constructed normal value on the basis of Indian COP with appropriate modifications as the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.

G.5.1 Determination of export price

G.5.1 Determination of export price for co-operating producers/exporters from China PR

48. The Authority has computed the export price at PCN level for an apple-to-apple comparison with CNV for computation of PCN wise Dumping Margin which has later been converted to weighted average level. Similarly, the landed value has been computed and compared with NIP at PCN level so as to obtain Injury Margin at PCN level and later collapsed at weighted average level. Wherever equivalent PCN of imported PCN is not produced by DI, the nearest appropriate PCN with relevant adjustments has been considered to ensure apple to apple comparison.

M/s. Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials

49. Nanyang Lingbao Pearl Pigment Co., Ltd Materials has directly exported *** MT subject goods to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, insurance, port and other related expenses etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively.

M/s. Rika Technology Company Limited

50. RIKA Technology Co., Ltd has directly exported *** MT subject goods to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, insurance, port and other related expenses, bank charges etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively.

M/s. Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited

51. Guangxi Chesir Pearl Material Co., Ltd. has directly exported *** MT subject goods to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively.

M/s. Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited

52. Zhejiang Ruicheng New Materials Co., Ltd. has directly exported *** MT subject goods to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, insurance, port and other related expenses, bank charges etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively.

M/s. Fujian Kuncai Material Technology Company Limited

53. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. has directly exported *** MT subject goods to both unrelated and related customers in India of an invoice value of US\$ ***. The related importer has cooperated with the investigation. To ensure that the related transactions are at arms-length, from the response filed by the related importer, it is seen that the sales made by the importer shows profit. Accordingly, after allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, insurance, port and other related

expenses, bank charges etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively.

M/s Hebei Oxen New Materials Co. Ltd.

54. Hebei Oxen New Materials Co., Ltd. has directly exported *** MT subject goods to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, insurance, port and other related expenses, bank charges etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to *** US\$ / MT and *** US\$ / MT respectively

G.5.2 Determination of export price for non - cooperating producers/exporters from China PR

55. Export price in respect of any other exporters from China PR has been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Export price for all exporters from China PR has been determined based on imports reported in the DGCI&S, after due adjustments. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin table below.

G.6. Determination of dumping margin

56. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for cooperative producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined below. It is seen that the dumping margin is positive and significant.

Producer	Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin Range
	US\$/MT	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials	***	***	***	***	50-60
Rika Technology Company Limited	***	***	***	***	50-60
Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	***	***	***	***	70-80
Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	***	***	***	***	80-90
Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	***	***	***	***	0-10
Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
All other producers/exporters from China PR	***	***	***	***	200-300

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of domestic industry

57. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- Demand for the subject goods increased in the injury period and in the period of investigation.
 - Imports substantially increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India throughout the injury period and period of investigation.
 - Market share in demand of the subject country increased, while that of the domestic industry declined. Dumped imports have taken away the share of domestic industry in demand. Imports constitutes 59% of total imports into the country.
 - Imports are undercutting, suppressing and depressing the prices of the domestic industry. Injury margin and

dumping margin are positive and substantial. Imports have continued to enter Indian market at dumped prices in the post period of the investigation period.

- v. Capacity increased in 2017-18 and remained constant thereafter. Production, domestic sales and capacity utilization improved in 2017-18 but declined in 2018-19 and period of investigation.
- vi. Inventories declined in 2017-18 but increased continuously thereafter, as a result of dumped imports. The closing stock in the period of investigation was at the highest level.
- vii. Profitability, cash profits, PBIT and ROI increased till 2018-19 and declined significantly in the period of investigation. Growth is negative in almost all volume and price parameters. The decline is directly a result of dumped imports.
- viii. There is a threat of material injury, in the event of non-imposition of anti-dumping duty, as a result of significant increase in volume of imports, surplus capacities with producers in subject country, significant price undercutting, price suppression and depression.
- ix. The responses filed by the exporters reveal threat of material injury to the domestic industry.
- x. Price undercutting has lead to decline in selling prices of the domestic industry, while price suppression and depression has resulted in significant erosion in profitability.
- xi. Operations were suspended due to COVID -19 only for five days. The domestic industry is required to be seen as it is and not in idle conditions.
- xii. High consumption in India may justify imports inter se but does not justify dumping. The domestic industry is forced to set its prices considering Chinese import price offers. The domestic industry has suffered adverse volume effect in a situation of demand-supply gap and significant price injury. Reference has been made to DSM Idemitsu Limited v. DA wherein it was held the exporters can supply goods to meet requirement at a price equivalent to normal value but not at a dumped value to capture the market.
- xiii. Exports of the domestic industry constitute only 13% of the total sales.
- xiv. The respondent compared weighted average import prices with domestic industry prices. The domestic industry has provided PCN wise cost, price and import data for period of investigation for determining price undercutting. Import price is not required to be compared with the cost/price of domestic industry.
- xv. Annual reports refer to all kinds of pigments produced by the domestic industry. Reference has been made by the interested parties without establishing its relevance. Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product under conclusion has contributed to injury of the domestic industry, and do not provide guidance as to deterioration in performance over injury period of an anti-dumping case.
- xvi. The non-injurious price may be determined as per Annexure III.

H.2. Submissions by other interested parties

58. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Annual report shows that the company suspended operations, which was not disclosed in the petition. Injury is as a result of suspension and not as a result of subject imports.
- ii. Economic parameters of the domestic industry show positive trend during injury period but declined in period of investigation, thereby raising concerns as to its legitimacy. The Annual Report of the petitioner and the data provided are contradictory.
- iii. The import price from China increased by 15 percent during POI to fulfill demand-supply gap that petitioner is unable to fulfil by not utilizing its 100 percent capacity.
- iv. Number of crucial issues impacting the domestic industry have been left unaddressed, and all other known factors causing injury should be examined.
- v. Applicant has a strong export orientation as a result of which they are unable to supply in the domestic market despite enormous demand.
- vi. The applicant has provided wrong and misleading information to prove non-existent injury. There is no correlation between import price and domestic selling price of the applicant.
- vii. The claim of the domestic industry regarding causal link has been made on the basis of weighted average, and therefore, the respondents' methodology cannot be questioned. If such methodology was questionable, the domestic industry should have provided the information on a PCN-to-PCN basis.
- viii. Domestic industry has achieved highest ever sales in January and February 2020 and recorded significant

growth of 19%. There is no causal link and injury.

- ix. Expenses such as Exception Items, Advertisement, Provision for credit loss, Commission to selling agents, Travelling/Conveyance, Corporate Social Responsibility should not be considered for determination of NIP and NV in terms of Para 4(iv) and (vii) of Annexure III of Anti-dumping Rules.
- x. Applicant has not faced any material injury, and hence, the claim is denied
- xi. The assessment parameters are clearly laid down and are well-settled to determine threat of material injury in an anti-dumping investigation. Moreover, the Applicant made absurd claims on the basis of the information provided by the Respondents, which is not in accordance with paragraph (vii) Annexure II of the Anti-dumping Rules
- xii. The Authority is requested to examine the threat of material injury on the basis of the information supplied by the Respondents.
- xiii. There is no correlation between the import price and domestic selling price of the applicant. It is submitted that import price per unit declined from 115 (Index) in FY 2018-19 to 114 (Index) during the POI. However, the domestic selling price per unit of the applicant declined from 108 (Index) to 99 (Index) during the POI. The respondents fail to understand how the decline in the import price by 1 index point can lead to a decline in the domestic selling price by 9 index points.

H.3. Examination by the Authority

59. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
60. Rule 11 of the Rules, read with Annexure II, provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
61. As regards argument of NIP calculations, the same is calculated on the bases of Annexure III of the AD Rules.
62. As regards the arguments concerning statements in annual report, the Authority reiterates that the injury to the domestic industry has been determined by considering the performance of the domestic industry for the product under consideration and whereas the annual reports provides for performance of the domestic industry for its entire product range.
63. As regards argument that domestic industry is export oriented, it is noted that exports of domestic industry constitute 13% of the total sales of the product concerned which implies that the focus of the domestic industry is Indian market.
64. The Authority has examined the injury parameters taking into account the facts and submissions made by the domestic industry as under:

H.3.1. Volume Effect of Dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

65. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	92	86
Sales of Other Indian Producers	MT	-	-	-	-
Subject Country - China	MT	1154	1568	1841	2003

Imports from other countries	MT	238	230	231	178
Total Demand in India	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	116	121	122

66. It is seen that the demand for subject goods has increased throughout the injury period and the period of investigation. However, the sale of domestic industry and imports of other countries declined during POI. On the other hand, the imports from subject country increased significantly during POI.

b. Import Volumes from the subject country

67. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Country – China PR	MT	1,154	1,568	1,841	2,003
Other Countries	MT	238	230	231	178
Total import volume	MT	1,392	1,798	2,072	2,181
Subject country Imports in relation to					
Production - Indian Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	163	191
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	132	142
Total Imports	%	82.91	87.21	88.87	91.83

68. It is seen that:

- a. Imports from subject country increased throughout the injury period and period of investigation.
- b. Imports from subject country in relation to total production and consumption has also increased throughout the injury period and period of investigation.
- c. Imports from subject country constitute 92% of the total imports in the country during the period of investigation.

H.3.2. Price effect of the Dumped Imports on the domestic industry

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

70. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The price undercutting has been determined for the POI separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole. Summarized position for the same is given in the table below

Particulars	Unit	China PR			
		2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports	Rs./Kg	330	326	380	380
Net sales realization	Rs./Kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	40-50%	50-60%	30-40%	20-30%

71. It is seen that the landed price of imports from the subject country is below the net sales realization of the domestic industry, thereby resulting in positive price undercutting.

b. Price suppression and depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were examined.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	103	104
Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	108	100
Landed price of imports	Rs./Kg	330	326	380	380
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	115	115

73. Comparison of cost of production, selling price of the domestic industry and landed price of imports shows that landed price of subject imports is below the cost of production and selling price of the domestic industry throughout the injury period including period of investigation. Further, whereas the costs of the domestic industry increased during the POI, however, instead of raising the selling prices in proportion with the increase the costs, the Domestic Industry was forced to reduce the selling price due to high volume of imports in the country at lower prices. The imports are suppressing and depressing the prices of the Domestic Industry.

H.1. Economic Parameters of the domestic industry

74. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

75. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales

76. The capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	103	103
Production	MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	109	98	91
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	106	95	89
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	92	86

77. It is seen that:

- i. The capacity of the domestic industry increased in 2017-18 and remained constant thereafter.
- ii. The production, and domestic sales increased in 2017-18, but declined in 2018-19 and further in the period of investigation.
- iii. Capacity utilization increased in 2017-18 but declined in 2018-19 and further in the period of investigation.

b. Market Share

78. Market share of the domestic industry and imports over the period is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	88	76	71
Subject Country – China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	117	132	142
Share of Other Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	83	80	61
<i>Total Share in Demand</i>	%	100	100	100	100

79. It is seen that the market share of the subject country increased throughout the injury period and in the period of investigation. However, the market share of the domestic industry declined throughout the injury period and in the period of investigation. The imports from the subject country account for 60% share in the Indian market.

c. Inventories

80. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average Stocks	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	82	112	159

81. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased throughout the injury period and substantially in the period of investigation.

d. Profitability, return on investment and cash profits

82. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	103	104
Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	108	100

Profit/Loss per unit	₹/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>226</i>	<i>14</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>208</i>	<i>12</i>
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>138</i>	<i>66</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>136</i>	<i>19</i>

83. It is seen that:

- The profitability of the domestic industry increased till 2018-19 but declined significantly during period of investigation.
- The return on investments has increased till 2018-19 but declined significantly thereafter.

e. Employment, wages and productivity

84. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>144</i>	<i>181</i>
Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>122</i>	<i>111</i>
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>81</i>	<i>81</i>
Productivity per day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

85. It is seen that:

- The wages paid and number of employees increased from 2016-17 to POI.
- The productivity per day has remained almost the same.

86. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

f. Growth

87. The growth of the domestic industry in terms of production, sales, profitability, cash profits PBIT, ROI and inventories is as per table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	-	3	3	3
Production	MT	-	9	0	(3)
Capacity Utilization	MT	-	6	(3)	(6)
Domestic Sales	MT	-	3	(6)	(9)
Average Stocks	MT	-	(18)	18	68
Profit/Loss -Domestic	₹/Lacs	-	40	97	(79)

Cash Profit	Rs Lacs	-	14	35	(30)
Return on Capital Employed	%	-	14	41	(75)

88. It is seen that the growth is negative in the period of investigation in almost all volume and price parameters. Production, sales, inventories, profitability, cash profits, PBIT and ROCE have all shown a negative growth in the period of investigation.

g. Magnitude of Dumping Margin

89. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

h. Ability to raise capital investment

90. It is seen that the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods over the period, making capital investment. However, despite increase in demand, the capacities are lying underutilized which is an impact of subject imports. This has impacted the ability of the applicants to raise its capital.

i. Factors affecting domestic prices

91. It is seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject country are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry.

H.4. THREAT OF MATERIAL INJURY

92. The domestic industry has claimed threat of material injury on following grounds:

a) Significant increase of dumped imports into India indicating likelihood of substantially increased importation:

Imports from the subject country have increased significantly over the injury period. Further, imports have remained significant despite enhanced capacities.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Country – China PR	MT	1,154	1,568	1,841	2,003

As per the questionnaire response, following producers in the subject country has increased their exports to India. Summarized table is as follows:

Sl. No.	Producer	2017	2018	2019	POI
1.	Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.	100	103	166	148
2.	Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	100	2087	1469	2521
3.	Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	100	40	571	1238
4.	Rika Technology Company Limited	100	115	129	134
5.	Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials	100	82	95	118
6.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	100	139	138	75

b. The domestic industry claimed that capacities created by the producers in subject country are more than their domestic demand. These producers are in fact saddled with excess capacity. Further, as per the questionnaire response, following producers have increased their capacities. Summarized table is as follows:

Sl. No.	Producer	2017	2018	2019	POI
1.	Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.	100	75	106	98
2.	Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	100	120	130	130
3.	Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	100	113	113	113
4.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	100	123	140	147

The domestic industry has submitted that sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicates the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

- c. The imports from subject country are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of imports from subject country is below the cost of the domestic industry. The imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

Inventories maintained by subject country exporters.

- d. The following exporters in the subject country have increased their inventories, as per the questionnaire response filed by the exporters. Summarized table is as follows:

Sl. No.	Producer	2017	2018	2019	POI
1.	Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	100	167	206	211
2.	Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	100	154	163	122
3.	Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials	100	106	113	106
4.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	100	117	118	130

H.5. OVERALL ASSESSMENT OF INJURY

93. The examination of imports of the product under consideration and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from the subject country has increased in both absolute and relative terms. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The import prices are also suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization of the domestic industry has declined in the period of investigation. The market share of subject imports has increased while the market share of the domestic industry declined. Profitability, cash profits, PBIT and ROCE has declined in the period of investigation. Growth is negative in almost all volume and price parameters in the period of investigation. In view of the foregoing, the Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered material injury. Analysis of questionnaire response and the information provided by the domestic industry shows that there is an increase of exports of subject goods to India, the capacities with the exporters and inventories have increased over the injury period. In view of the above, it is concluded that there is a threat of material injury to the domestic industry.

H.6. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

94. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed

assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

95. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Producer	NIP	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
Nanyang Lingbao Pearl Pigments Company Limited Materials	***	***	***	***	40-50
Rika Technology Company Limited	***	***	***	***	40-50
M/s. Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	***	***	***	***	70-80
Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	***	***	***	***	70-80
Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	***	***	***	***	0-10
Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
All other producers/exporters from China PR	***	***	***	***	100-200

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

96. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports.
- a. Volume and prices of imports from third countries**
97. The imports from other countries are either at higher prices or at negligible levels.
- b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption**
98. It is noted that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which could have caused injury to the domestic industry.
- c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**
99. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- d. Conditions of competition and trade restrictive practices**
100. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices, could have caused injury to the domestic industry.
- e. Developments in technology**
101. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.
- f. Productivity**
102. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has remained in similar region during the injury period.
- g. Export performance**
103. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

h. Performance of other products

104. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

CAUSAL LINK

105. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.

- i. There is significant dumping of the subject goods in India.
- ii. Owing to the availability of cheap imports, the volume of dumped imports has increased in absolute as well as relative terms during the period of investigation.
- iii. The market share of the domestic industry has declined while the imports have captured the market share during the period of investigation.
- iv. As a result, the production and sales of the domestic industry increased initially but have declined in the period of investigation.
- v. The capacity utilization of the domestic industry has remained low.
- vi. The imports are undercutting the prices of domestic industry and are priced below the cost of the domestic industry. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- vii. Consequently, the domestic industry has decline in profits, cash profits and return on capital employed.
- viii. The volume as well as profitability parameters of the domestic industry have deteriorated during the period of investigation.

K. Post Disclosure statement submissions**Submission of Domestic Industry**

106. The submissions made by the domestic industry is as follows:

- i. No users or user associations have filed responses, opposed the investigation or the imposition of duties, thereby showing that there will be no significant or adverse impact on them.
- ii. Imposition of duties will arrest decline in the performance of the industry, redress the injury suffered and enable domestic producer to remain viable and competitive.
- iii. A competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports is in consumer's interests.
- iv. If the current situation continues, the industry will face further injury and eventually be wiped out, giving foreign producers increased leverage, and the consumers will be left at their mercy.
- v. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material, while, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.
- vi. A strong, competitive domestic production of the product is in interest of the public at large.
- vii. The installed capacities of the domestic industry is sufficient to cater to the entire existing demand in India, but has been underutilizing its capacities due to the presence of dumped imports from the subject country.
- viii. Anti-dumping duty will provide a level playing field, address the decline of the domestic industry's performance, and at the same time not have an adverse impact on the eventual end consumers.
- ix. Anti-dumping duty is only a means of price correction and not a protection to the domestic industry.
- x. Impact of duty, on quantification, shows that the impact on consumers is miniscule. Impact of duty on the paint industry would hardly be 1%. The impact on public would be Rs. 500 only in entirety of five years life of a paint due to imposition of anti-dumping duty. The impact of imposition of anti-dumping duty on pigments would be negligible in plastics.
- xi. The domestic industry actively monitors its supply chain of procuring the raw material i.e., mica, and works actively towards reducing the employment of children in the mines. it is in the larger public interest to encourage the growth of such socially responsible domestic industries.
- xii. The domestic industry plans to increase investments, thereby leading to larger employment. The manufacturing plants are environment friendly, and also ensure health and safety of employees.

- xiii. The domestic industry is one among top three manufacturers of product under consideration and exports it globally.
- xiv. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities and reduce import dependence.

Submissions of other interested parties

107. The applicant has regularly imported the subject goods from the respondents namely Guangxi Chesir Pearl Material Co., Ltd, Rika Technology Co Ltd and Fujian Kuncai Material Technology Co. Ltd in significant quantities.
108. From the information provided in the above table, the following facts emerges:
- a) The applicant is a habitual importer of the subject goods from China as it has imported subject goods from China during the POI, pre-POI period as well as in post POI period.
 - b) The share of the imports made by applicant from China PR during the POI is very significant to the tune of ***% of the total imports from China PR. The share of the imports made by applicant from China PR during the pre-POI as well as post-POI period in terms of the total imports from China PR is also very significant to the tune of ***% and ***% respectively.
 - c) The share of the imports made by applicant during the POI is very significant to the tune of ***% of the domestic sales of the applicant. The share of the imports made by applicant from China PR during the pre-POI as well as post-POI period in terms of domestic sales of the applicant is also very significant to the tune of ***% and ***% respectively.
109. In order to substantiate our claim in this context, following final findings (illustrative) were cited in which domestic producers were considered as ineligible as they were also importing the subject goods from China.
- a) Aluminium Foil from China PR [F. No.14/06/2015-DGAD dated 10th March, 2017];
 - b) Flax Yarn from China PR [F. No. 6/3/2018/DGAD dated 18th September, 2018];
 - c) Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption”, originating in or exported from China PR [F. No.14/14/2014-DGAD dated 8th April, 2017];
 - d) Soda Ash from Turkey and USA [No.6/39/2019 -DGTR 19th February, 2021].
110. From the above illustrative findings, the following facts emerge:
- a) The domestic producer will be considered as ineligible despite insignificant quantities of self-imports in case no plausible reasons for importing the product have been provided.
 - b) Imports between 5%-11% have been considered as significant.
 - c) Share of imports made by the applicant domestic producer should be examined in terms of the total imports into India, imports from subject country(ies), Indian production, production of applicant domestic producer, domestic sales of the applicant domestic producer and Indian demand.
 - d) The sporadic imports made by the domestic producer is not a valid reason to treat as an ineligible domestic industry.
 - e) Imports made under duty free scheme or advance license are not considered to decide the eligibility of a domestic producer as these imports do not come in the main stream.
111. The respondents humbly submit that the applicant fails to meet all the above-mentioned principles as evidenced from the following facts.
112. It is mentioned in the examination of the Authority in para 17 of the disclosure statement that the imports made by the applicant are not significant so as to disentitle the Applicant from being treated as domestic industry. In this context, it is submitted that “insignificant volumes” is not a valid reason to treat a domestic producer as eligible unless plausible reasons for importing the product have been provided. In the instant case, applicant has not provided any plausible reasons for importing the product from China PR. It appears that the Authority has not examined the quantity of the imports made by the applicant *vis-à-vis* other importers from China PR. We have reasons to believe that the applicant happens to be a significant and / or major importer of the PUC. This fact alone would establish that the imports made by the applicant from China PR have a significant impact on the prices in the country and the market dynamics. A mere comparison with the total volume of imports into India or total Indian demand does not have any bearing on the analysis in view of the fact that the Authority is required to carry out the import analysis of the imports made by the applicant.

113. There will be issues of short supply since applicant is a sole manufacturer with limited capacity. In case of shut down of the applicant, the condition of the user industry would further deteriorate due to likely abnormally high import prices on account of the proposed anti-dumping duties. Under such circumstances, the user industry will be adversely impacted in case duties are imposed. The applicant is also a habitual misuser of trade remedial measures. Accordingly, we humbly request the Authority not to recommend the anti-dumping duties.
114. We are surprised to note that the Hon'ble Investigating Authority is treating China PR as a Non-Market Economy country. It is hereby submitted that in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th December 2016.
115. Without sufficient disclosure on the key data for the determination of the dumping margin and injury margin, Hebei Oxen is not in a position to make effective comments and its right of defense is limited.
116. In the determination of the NIP, the Authority is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% Return on Capital Employed which was designed in 1987.
117. Moreover, in spite of the claim that imports from China are causing injury to the domestic industry, while the imports from China have been increasing from 2016-17 to the POI, the domestic industry has achieved a substantial increase in their profitability and return on capital employed from 2016-17 to 2018-19 but only declined during the POI
118. Number of employees has increased to 111 (Index) during the POI as compared to 100 (Index), during the base year 2016-17. However, increase in wages shows an abnormal trend, which has increased to 181 (Index) during the POI as compared to 100 (Index) during the base year 2016-17, such an unsubstantial increase. During the period when the domestic industry claimed that they were facing injury causes by imports from China, they have substantially raised the wages of the employees. The Authority is requested to critically examine the same.
119. Meanwhile, although the Authority has conducted the non-attribution analysis to see whether any factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, the Authority failed to analyze the internal factors of the domestic industry, such as deficiencies in their operating strategy or disadvantages in technology or quality of products which may result in a poor market competitiveness.
120. Finally, the Authority failed to make a due analysis of the Indian interests, i.e. the potential negative impacts of the anti-dumping measures on the interest of importers and downstream industry, which is more significant than the interest of the domestic industry.

Examination by the Authority

121. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- i. The Authority notes the submission of the interested parties regarding imports made by the domestic industry and re-iterates that imports made by the domestic industry during POI account for 5% of total imports from China during POI which is not significant to disentitle the domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules.
 - ii. Regarding short supply of PUC in the event of shut down of the applicant and imposition of anti-dumping duties, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, is not to restrict imports but in general, its purpose is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties therefore, would not affect the availability of the product to the consumers/users.
 - iii. The Authority notes that none of the producers/exporters have applied for market economy treatment by filing the requisite market economy questionnaire.
 - iv. The Indian Industry's interest and other issues have been examined in the following paragraph.
 - v. The Authority, post issuance of disclosure, has received comments from some importers/users of PUC who had not registered themselves as interested parties (Plastiblends India Ltd, Rajiv Plastic industries, Minocha Enterprises Private Limited, kandui industries private limited, Organization of Plastic Processors of India, Compounds And Masterbatches Manufacturers Association Of India, Dirco Polymers Pvt. Ltd., Bajaj Polyblends Pvt. Ltd., Superpack). Although none of them are registered interested parties for the present investigation, the issues highlighted by them have already been dealt by the Authority.

- vi. Vide email dated 31.05.2021, the exporter Nanyang Lingbao Pearl Pigment Co Ltd Materials submitted that its name was changed to Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd) with effect from 15th December, 2020. The exporter further requested the Authority to mention its new name i.e., Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd in the duty table as well as other relevant places of the Final Findings since the exporter has fully cooperated with the Authority. However, their request for change in name has not been considered by the Authority at this belated stage of investigation. The exporter is however, encouraged to file an application for change in name as per Trade notice no. 12/2018 dated 17.09.2018

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES.

122. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
123. The Authority considered whether imposition of proposed ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the extension of the existing duty on imports of the product under investigation would be against the large public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
124. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD, impact of repealing or maintaining the present duty.
125. Two importers- FC pigments private limited and RC International Pvt. Limited have filed the prescribed importer questionnaire response. Both of these users have stated that if anti-dumping duties are imposed then it will create a monopolistic situation as applicant is the only producer in India. Accordingly, applicant would increase their prices significantly to exploit the situation, which will adversely impact the user industry. Further, it will also create a huge demand-supply gap as applicant does not have the capacity to cater to the demand of the product concerned in the domestic market. In this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
126. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is miniscule on different segments of the consumer. The fact that there is only one Indian producer of the product under consideration and non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concern and the fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

M. CONCLUSION

127. After examining various submissions of the interested parties with regard to product under consideration, confidentiality, adequacy and accuracy of the application, questionnaire responses, selection of period of investigation, dumping margin determination, injury to the domestic industry, other factors allegedly causing injury to the domestic industry, the Authority notes that it has appropriately dealt with the issues raised in the relevant paragraphs of these findings. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - ii. Although the interested parties sought exclusion of automotive grade PUC, the Authority notes that the applicant is producing automotive grade and therefore Authority has not excluded these from the scope of the product under consideration.
 - iii. The product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries.
 - iv. The Authority has computed the export price at PCN level for an apple-to-apple comparison with CNV for computation of PCN wise Dumping Margin which has later been converted to weighted average level. Similarly, the landed value has been computed and compared with NIP at PCN level so as to obtain Injury Margin at PCN level and later collapsed at weighted average level. Wherever equivalent PCN of imported PCN is not produced by DI, the nearest appropriate PCN with relevant adjustments has been considered to ensure apple to apple comparison.
 - v. The claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties have been examined, and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality.
 - vi. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.
 - vii. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined, and the margins are significant.
 - viii. The Domestic Industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from the subject countries are depressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the POI. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.
128. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of antidumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
129. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods as mentioned in Column 3 of the duty table originating in or exported from subject country.
130. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	320611	Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade	China PR	Any country including China PR	Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials	2493	Per MT	USD

2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Rika Technology Company Limited	2023	Per MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited	2813	Per MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited	2674	Per MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	214	Per MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.	2406	Per MT	USD
7.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1 to 6	5529	Per MT	USD
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	5529	Per MT	USD

O. Further Procedure

131. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Joint Secretary and Designated Authority